

अध्याय-II: राज्य माल एवं सेवा कर

2.1 'माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट' पर अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (मा०से०क०) ने केन्द्र एवं राज्यों द्वारा लगाये जाने एवं संग्रहीत किये जाने वाले विभिन्न करों को प्रतिस्थापित कर दिया। मा०से०क०, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य आधारित कर है जो विभिन्न स्तरों पर लगाया जाता है जिसमें कर आपूर्ति के साथ अग्रसर होता है। कर केन्द्र एवं राज्यों द्वारा एक साथ एक समान कर के आधार पर आरोपित किया जाता है तथा कर उस कर प्राधिकारी को देय होता है जिसका आपूर्ति के स्थान पर अधिकार क्षेत्र होता है। केन्द्रीय माल सेवा कर (के०मा०से०क०) तथा राज्य माल सेवा कर (रा०मा०से०क०)/संघ राज्य क्षेत्र माल सेवा कर (सं०रा०क्षे०मा०से०क०) राज्य के अन्दर की आपूर्तियों पर आरोपित किया जाता है जबकि एकीकृत माल सेवा कर (ए०मा०से०क०) अन्तर-राज्यीय आपूर्तियों पर आरोपित किया जाता है। आउटपुट करदायित्वों के प्रति समंजन के लिए इनपुट, इनपुट सेवाओं एवं पूँजीगत माल पर भुगतान किये गये करों की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई०टी०सी०) की उपलब्धता मा०से०क० की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह करों के ऊपर पुनः कर लगाने के प्रभाव से बचाता है एवं विक्रेता से क्रेता तक क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करता है। विद्यमान कानूनों¹ से मा०से०क० अवधि में इनपुट टैक्स के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये, 'इनपुट करों के लिये ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं' को मा०से०क० अधिनियमों में शामिल किया गया था ताकि विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत भुगतान किये गये उपयुक्त करों या शुल्कों के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स का दावा करने का अधिकार और तरीका प्रदान किया जा सके। अग्रेतर, ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान सरकार एवं व्यवसाय दोनों के लिये महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के लिये, ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान विरासतीय विवरणियों से संचित क्रेडिट तथा कच्चे माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स, उत्पादनाधीन कार्य, नियत तिथि पर भण्डार में रखे तैयार माल के साथ-साथ पूँजीगत माल के संबंध में भी मा०से०क० अवधि में क्रेडिट के पारगमन को सुनिश्चित करते हैं। प्रावधान, करदाता को ऐसे इनपुट क्रेडिट को केवल तभी स्थानान्तरित करने में सक्षम बनाता है जब वे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये प्रयुक्त हुई हों।

2.1.2 इनपुट कर के लिये ट्रांजिशनल व्यवस्था

के०मा०से०क० अधिनियम, 2017 (एवं रा०मा०से०क० अधिनियम/ सं०रा०क्षे०मा०से०क० अधिनियम) की धारा 140 करदाताओं को विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत अर्जित आई०टी०सी० को मा०से०क० अवधि में अग्रेनीत करने के लिये समर्थ बनाती है। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ०प्र०मा०से०क०) नियमावली 2017 के नियम 117 के साथ पठित यह धारा इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। आई०टी०सी० के ट्रांजिशनल व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यमान कानूनों के तहत भुगतान किये गये विभिन्न करों जैसे कि राज्य मूल्य सर्वधित कर (मू०सं०क०) और प्रवेश कर की आई०टी०सी०, अधिनियम की धारा 140 की सम्बन्धित उप धाराओं के अन्तर्गत, मा०से०क० में अग्रेनीत करने के लिये अर्ह है। दावों को नीचे उल्लिखित उपयुक्त सारणियों में दो फॉर्मों मा०से०क० ट्रान-1 एवं मा०से०क० ट्रान-2 में अधिमानित किया जाना है।

¹ केन्द्रीय उत्पाद, सेवा कर एवं राज्य मूल्य सर्वधित कर।

सारणी-2.1: ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावों के लिये निर्धारित फॉर्म एवं सारणी

फॉर्म	सारणी सं०	ट्रांजिशनल क्रेडिट के अवयव
द्रान-1	5(सी)	अन्तिम विरासतीय विवरणियों से क्रेडिट का अंतः शेष
द्रान-1	6(बी)	पूंजीगत माल पर उपभोग न किया गया क्रेडिट
द्रान-1	7(बी)	पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट
द्रान-1	7(सी)	बीजक सहित शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट
द्रान-1	7(डी)	बीजक रहित शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट
द्रान-1	10	प्रधान के लिये अभिकर्ता के रूप में भण्डार में रखे गये माल पर क्रेडिट
द्रान-1	11	नियत दिन (01 जुलाई 2017) से पहले भुगतान किये गये कर एवं नियत दिन के पश्चात की गयी आपूर्ति के सम्बन्ध में क्रेडिट
द्रान-2	5	बिना बीजक के दावा किये गये भण्डार पर लिया गया क्रेडिट

कंपोजीशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत) के अन्तर्गत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत करदाता नियत तिथि से 90 दिन के अन्दर द्रान-1 विवरणी दाखिल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। प्रारम्भ में द्रान-1 विवरणी दाखिल करने की समय सीमा 27 दिसम्बर 2017 तक बढ़ा दी गयी थी। यद्यपि, यह देखते हुये कि कई करदाता तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तिथि तक विवरणी दाखिल नहीं कर सके, ऐसे करदाताओं को समायोजित करने के लिये उ०प्र०मा०से०क० नियमावली, 2017² के नियम 117 में उपनियम 1ए जोड़ा गया था। पुनश्च, द्रान-1 दाखिल करने की नियत तिथि को उन करदाताओं के लिये जो तकनीकी कठिनाइयों के कारण विवरणी दाखिल नहीं कर सके थे और जो मामले मा०से०क० परिषद द्वारा अनुशंसित थे, 31 मार्च 2020³ तक बढ़ा दिया गया था।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे मा०से०क० राजस्व को सीधे प्रभावित करते हैं क्योंकि क्रेडिट करदाताओं की आउटपुट कर देयता के प्रति समंजन के लिए पात्र है। इस प्रकार ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा को निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया:

- क्या विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिये परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था (प्रणालीगत मुददा); और
- क्या करदाताओं द्वारा मा०से०क० व्यवस्था में ले जायी गयी ट्रांजिशनल क्रेडिट्स वैध एवं अनुमन्य थी (अनुपालन मुददा)।

2.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ०प्र०मा०से०क०) अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं 142 के अन्तर्गत करदाताओं द्वारा नियत तिथि⁴ से मार्च 2020 के अन्त तक दाखिल किये गये रा०मा०से०क० घटक के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की समीक्षा शामिल थी। लेखापरीक्षा सत्यापन में चयनित दावों के विस्तृत स्वतंत्र सत्यापन के साथ-साथ विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया और परिणामों की जाँच शामिल थी। व्यक्तिगत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन में ऐसे दावों के समर्थन में अभिलेखीय

² अधिसूचना 48/2018 वा०क० दिनांक 10 सितम्बर 2018 द्वारा।

³ सीबीआईसी आदेश सं० 01.2020–मा०से०क० दिनांक 07 फरवरी 2020 द्वारा।

⁴ जिस दिनांक को इस अधिनियम के प्रावधान लागू हुये, यथा 1 जुलाई 2017।

साक्ष्य के साथ नियत दिन के तुरंत पहले विद्यमान कानूनों के तहत दाखिल पिछली छ: मासिक विवरणियों में करदाता द्वारा दावा किये गये वैट क्रेडिट की जाँच अपरिहार्य थी। इसके अतिरिक्त भण्डार में रखी गयी सामग्री से सम्बन्धित दावा किये गये इनपुट टैक्स के सम्बन्ध में सत्यापन में आवश्यक लेखांकन विवरण, ऐसे माल की खरीद के साक्ष्य प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों या अभिलेखों का परीक्षण भी सम्मिलित था।

2.1.5 लेखापरीक्षा पद्धति एवं लेखापरीक्षा मानदण्ड

चयनित करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिये कार्यप्रणाली में क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर जोनों के साथ-साथ खण्डों के पास उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन और डाटा विश्लेषण शामिल है। इसमें विभाग के माध्यम से करदाताओं की प्रासंगिक जानकारी / अभिलेखों तक पहुँच भी शामिल थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों और मानदण्ड सहित लेखापरीक्षा पद्धति को विभाग को अवगत कराने के लिये 26 अगस्त 2021 को अपर आयुक्त (विधि) वाणिज्य कर के साथ एक परिचयात्मक गोष्ठी आयोजित की गयी थी। फील्ड आडिट जुलाई 2021 और दिसम्बर 2021 के मध्य सम्पादित किया गया था। ड्राफ्ट प्रतिवेदन 21 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार और राज्य कर विभाग को जारी किया गया था। विभाग का उत्तर प्राप्त हो गया है तथा 05 जुलाई 2022 को अपर आयुक्त (विधि) वाणिज्यकर के साथ समापन विचार गोष्ठी आयोजित की गयी थी। विभाग के उत्तर को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

जी०एस०टी०एन० से प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार, नियत तिथि से मार्च 2020 के अन्त तक की अवधि में रा०मा०से०क० के ट्रांजिशनल क्रेडिट के ₹ 1,289.84 करोड़ धनराशि के कुल 53,085 दावे किये गये थे। विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच के लिये 12 जोनों और ज्वा० कमि० (का०स०) वा०क० आयल सेक्टर लखनऊ के 124 खण्डों में फैले हुये ₹ 646.13 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किये हुये 1,079 करदाताओं का एक नमूना निकाला गया था।

जिन मानदण्डों के खिलाफ लेखापरीक्षा उद्देश्यों और उप उद्देश्यों को सत्यापित किया गया है उनमें उ०प्र०मा०से०क० अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं 142 सपष्टित उ०प्र०मा०से०क० नियमावली, 2017 के नियम 117 एवं 118 तथा राज्य सरकार विभाग एवं सी०बी०आई०सी० द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों के प्रावधान शामिल हैं।

2.1.6 लेखापरीक्षा नमूना

लेखापरीक्षा द्वारा 1,058 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के नमूने की जाँच की गयी जो कि वाणिज्य कर विभाग के 12 जोनों एवं ज्वा०कमि० (का०स०) वा०क० आयल सेक्टर लखनऊ के 124 खण्डों में फैले हुये थे। चयनित मामलों का विवरण इस प्रकार है:

सारणी—2.2

क्र०सं०	जोन	नमूने की कुल संख्या	चयनित खण्ड	लेखापरीक्षित मामलों की संख्या
1	आगरा	124	20	124
2	अलीगढ़	1	1	1
3	जी० बी० नगर	270	19	263
4	गाजियाबाद I	161	14	154
5	गाजियाबाद II	128	9	128
6	कानपुर I	104	15	104

क्र०सं०	जोन	नमूने की कुल संख्या	चयनित खण्ड	लेखापरीक्षित मामलों की संख्या
7	कानपुर II	120	18	120
8	ज्वाकमिं (का०स०) वा०क० आयल सेक्टर लखनऊ	2	1	2
9	लखनऊ I	82	14	77
10	लखनऊ II	82	10	82
11	मेरठ	1	1	1
12	वाराणसी I	2	2	2
13	वाराणसी II	2	2	0
योग		1,079⁵	126⁶	1,058

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 और दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा०क०का०) के नमूने के ट्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेशों की जाँच की और पाया कि 86 करदाताओं (40 वा०क०का०) ने ट्रान-1 की सारणी 5(सी) में ₹ 35.46 करोड़ की आई०टी०सी० का लाभ उठाया। कर निर्धारण प्राधिकारियों (क०नि०प्र०) ने कर निर्धारण करते समय इन मामलों में एक पक्षीय कर निर्धारण आदेशों को पारित किया एवं शून्य आई०टी०सी० अनुमन्य किया। चूंकि ये मामले उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर (उ०प्र०म०स०सं०क०) अधिनियम, 2008 की धारा 32 के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण के लिये खुले हुये थे, अतः इन करदाताओं को अनुमन्य आई०टी०सी० की अनुपलब्धता में आई०टी०सी० का दावा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित हो जाने के पश्चात, आगामी लेखापरीक्षा में इसकी जाँच की जायेगी (परिशिष्ट-I)।

लेखापरीक्षा का परिणाम

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये प्रणालीगत के साथ-साथ अनुपालन मुद्दों को प्रस्तुत करता है। प्रणालीगत मुद्दे ट्रांजिशनल क्रेडिट की स्वीकार्यता से सम्बन्धित परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता को संबोधित करते हैं जबकि अनुपालन मुद्दे करदाताओं को ट्रांजिशनल क्रेडिट की

⁵ (i) खण्ड 2 वा०क० नोएडा के तीन करदाताओं, खण्ड 11 वा०क० नोएडा के दो करदाताओं तथा खण्ड 3 वा०क० हापुड़ के एक करदाता के केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

(ii) खण्ड 11 वा०क० नोएडा के दो करदाताओं जिनमें ₹ 1.09 करोड़ की ट्रांजिशनल क्रेडिट शामिल थी की लेखापरीक्षा को अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

(iii) गोरखपुर से सम्बन्धित खण्ड 12 वा०क० गाजियाबाद के एक करदाता, झांसी से सम्बन्धित खण्ड 11 वा०क० लखनऊ के एक करदाता, रायबरेली से सम्बन्धित ज्वा०कमि० (का०स०) I वा०क० लखनऊ के दो करदाता, अमेठी से सम्बन्धित ज्वा०कमि० (का०स०) I वा०क० लखनऊ के एक करदाता, रायबरेली से सम्बन्धित खण्ड 12 वा०क० लखनऊ का एक करदाता की लेखापरीक्षा नहीं हो सकी क्योंकि ये मामले चयनित खण्डों से भिन्न खण्डों में प्रदर्शित हो रहे थे। अग्रेतर, मोदी नगर से सम्बन्धित पाँच करदाताओं, वाराणसी जोन-II के एक करदाता, ज्वा०कमि० (का०स०) II वा०क० वाराणसी जो कि सोनभद्र से सम्बन्धित था तथा खण्ड 3 भदोही से सम्बन्धित एक करदाता की समय की कमी एवं उन खण्डों से सम्बन्धित नगण्य मामलों के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

⁶ वाराणसी जोन-II के अन्तर्गत दो खण्डों ज्वा०कमि० (का०स०) II वा०क० वाराणसी (सोनभद्र) एवं खण्ड 3 भदोही की समय की कमी एवं उस खण्ड में मामलों की संख्या नगण्य होने के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

स्वीकार्यता के लिये प्रासंगिक कोडल प्रावधानों से अलग—अलग मामलों में विचलन को संबोधित करते हैं। लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में विस्तार से चर्चा की गयी है।

2.1.7 प्रणालीगत मुद्दे

प्रणालीगत मुद्दों में विभाग द्वारा लक्ष्यों के प्रति आच्छादन की सीमा, सत्यापन तंत्र में नीति/प्रक्रियात्मक अन्तराल, दोहरे नियंत्रण के साथ चुनौतियां और वसूली प्रक्रिया की दक्षता के प्रति परिकल्पित सत्यापन तंत्र शामिल है। विरासतीय के साथ—साथ मा०से०क० कानूनों दोनों के अन्तर्गत निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अलावा, विभाग ने वर्ष 2018–19 के लिये ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन को प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया था।

उ०प्र०मा०से०क० नियम 121 निर्दिष्ट करता है कि ट्रांजिशनल क्रेडिट की धनराशि को सत्यापित किया जा सकता है और अधिक दावे की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जो कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से कोई क्रेडिट गलत तरीके से दावा की गयी हो के सम्बन्ध में प्रारम्भ की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने जाँच में विभाग द्वारा परिकल्पित और अपनाए गये सत्यापन तंत्र में कमियों को दर्शाया है। नई कर व्यवस्था लागू हो जाने के चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी थी।

2.1.7.1 विभाग द्वारा अपनाये गये सत्यापन तंत्र में अपर्याप्तता

विद्यमान कानूनों से मा०से०क० व्यवस्था में इनपुट टैक्स के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये, मा०से०क० अधिनियम में एक ट्रांजिशनल व्यवस्था को शामिल किया गया था ताकि विद्यमान कानूनों में भुगतान किये गये उचित करों की हकदारी और दावा करने का तरीका उपलब्ध कराया जा सके। विद्यमान कानूनों के क्रेडिट का ट्रांजिशनल क्रेडिट व्यवस्था के माध्यम से आगे ले जाना एक बार की प्रक्रिया है; इसलिए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त और प्रभावी निगरानी तंत्र होना चाहिये।

(i) 124 खण्ड कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा दाखिल किये गये ट्रान-1 मामलों के सत्यापन की जाँच की। यह पाया गया कि 35⁷ खण्डों में ट्रांजिशनल क्रेडिट के मामले सत्यापित किये जा चुके थे, 53⁸ खण्डों में सत्यापन की कार्यवाही चल रही थी। 22⁹ खण्डों में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सत्यापन किया जा चुका था या नहीं, तीन खण्डों¹⁰ में विभाग ने उत्तर दिया कि पोर्टल में ऐसा कोई तंत्र नहीं था और 11 खण्डों¹¹ में ट्रांजिशनल क्रेडिट के मामले सत्यापित नहीं किये गये थे। इस

⁷ खण्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 वा०क० आगरा, खण्ड 2, 9 एवं 15 वा०क० गाजियाबाद, खण्ड 4, 6, 9 एवं 29 वा०क० कानपुर, ज्वा०कमि० (का०स०) वा०क० आयल खण्ड लखनऊ, खण्ड 6 वा०क० लखनऊ, खण्ड 5 वा०क० मथुरा एवं खण्ड 8 वा०क० नोएडा, खण्ड 3 वा०क० हायपुड़, खण्ड 6 वा०क० मेरठ, खण्ड वा०क० सिकन्दराबाद, खण्ड 7 वा०क० वाराणसी, ज्वा०कमि० (का०स०) वा०क० वाराणसी।

⁸ ज्वा०कमि० (का०स०) वा०क० आगरा, ज्वा०कमि० (का०स०) वा०क० (रेंज बी) जी० बी० नगर, खण्ड 1 एवं 2 वा०क० जी० बी० नगर, ज्वा०कमि० (का०स०) वा०क० II गाजियाबाद, खण्ड 1, 4, 5, 10, 17 एवं 18 गाजियाबाद, ज्वा०कमि० (का०स०) वा०क० I एवं II कानपुर, खण्ड 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 30 वा०क० कानपुर, खण्ड वा०क० कानपुर देहात, ज्वा०कमि० (का०स०) I एवं II लखनऊ, खण्ड 1, 5, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 21 एवं 22 वा०क० लखनऊ एवं खण्ड 12 वा०क० नोएडा।

⁹ खण्ड 3 जी० बी० नगर, खण्ड 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19 वा०क० गाजियाबाद, खण्ड 2, 3, 9, 10, 12, 19, 20 वा०क० लखनऊ, खण्ड 3, 4, 5, 6, 9 वा०क० नोएडा।

¹⁰ खण्ड 4, 11 वा०क० लखनऊ, ज्वा०कमि० (का०स०) I वा०क० गाजियाबाद।

¹¹ खण्ड 6 वा०क० गाजियाबाद, खण्ड 8 एवं 16 वा०क० लखनऊ, ज्वा०कमि० (का०स०) वा०क० रेन्ज ए नोएडा, खण्ड 1, 2, 7, 10, 11, 13, 14 वा०क० नोएडा।

प्रकार जुलाई 2017 में मार्गेन्टो को लागू हो जाने के चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का सत्यापन एवं अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इस प्रकार, काफी समय व्यतीत होने के कारण करापवंचना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित (अप्रैल 2022) किया। समापन गोष्ठी के दौरान (जुलाई 2022) विभाग ने अवगत कराया कि व्यवस्था नई थी एवं कोविड के कारण भी ट्रान के सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

(ii) ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि खण्ड 1 मार्गेन्टो जीवीबी 0 नगर के 30 करदाताओं में से एक करदाता में 10 टीर्डो पावर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड जीवीबी 0 नगर (09AAFCT1878D1Z6) ने अपना ट्रान-1 दिनांक 30 अगस्त 2017 को दाखिल किया एवं ₹ 29.23 लाख की आईटीरीसी 0 का दावा किया। जबकि लेखापरीक्षा ने देखा कि उसके इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर (इक्रोलो) में उसी दिनांक को ₹ 29.23 लाख के बजाय ₹ 36.25 लाख की धनराशि जमा हुई थी। मार्गेन्टो पोर्टल में इस कमी के कारण अन्य मामलों में आईटीरीसी 0 के अधिक लाभ की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यद्यपि करदाता ने 05 दिसम्बर 2017 को संशोधित ट्रान-1 दाखिल किया था और ₹ 7.02 लाख की धनराशि इक्रोलो 0 में डेबिट हुई थी।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित (अप्रैल 2022) किया। उत्तर में एवं समापन गोष्ठी में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि ऐसा नये तंत्र के कारण था। जीएसटीएन पोर्टल पर तकनीकी समस्यायें थीं। यद्यपि, करदाता ने स्वयं संज्ञान ले लिया है तथा अपने इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर से ₹ 7.02 लाख की धनराशि डेबिट करते हुये ट्रान-1 में ट्रांजिशनल क्रेडिट का पुनरीक्षण दाखिल कर दिया है।

अनुपालन मुद्दे

अनुपालन मुद्दे अलग-अलग निर्धारितियों द्वारा मार्गेन्टो व्यवस्था में अग्रेनीत की गयी ट्रांजिशनल क्रेडिट की वैधता एवं स्वीकार्यता से सम्बन्धित हैं। चयनित मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान ट्रान-1 की विहित सारणियों में अधिक आईटीरीसी 0 के लाभ से सम्बन्धित परिणामों को देखा गया जिन पर अनुवर्ती प्रस्तरों में संक्षेप में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा ने 15.60 प्रतिशत की त्रुटि दर बनाते हुये लेखापरीक्षित 1,058¹² मामलों (124 खण्डों में) से 165 दावों (68 खण्डों में) में अनुपालन विचलन को देखा। आगामी प्रस्तरों में इन अनुपालन विचलनों की चर्चा की गयी है।

2.1.8 ट्रान-1 की सारणी 5(सी) के माध्यम से अधिक आईटीरीसी 0 का लाभ लिया जाना

उपरोक्त मार्गेन्टो अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) यह निर्धारित करती है कि धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर (इक्रोलो) में, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी, जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया गया है, मूल्य सवंधित कर और प्रवेश कर की रकम, यदि कोई हो, के रकम की क्रेडिट को अग्रेनीत करने के लिये

¹² 1,058 करदाताओं (124 खण्डों) में— 915 करदाता (116 खण्ड) सारणी 5सी से सम्बन्धित हैं, 226 करदाता (65 खण्ड) सारणी 6बी से सम्बन्धित हैं, 148 करदाता (60 खण्ड) सारणी 7बी से सम्बन्धित है, 91 करदाता (55 खण्ड) सारणी 7सी से सम्बन्धित हैं, 106 करदाता (64 खण्ड) सारणी 7डी से सम्बन्धित हैं, 20 करदाता (17 खण्ड) सारणी 10ए से सम्बन्धित हैं, 18 करदाता (12 खण्ड) सारणी 10बी से सम्बन्धित हैं और 31 करदाता (15 खण्ड) सारणी 11 से सम्बन्धित हैं।

हकदार होगा। अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 का नियम 117(1) यह निर्धारित करता है कि धारा 140 के अधीन इनपुट टैक्स की क्रेडिट को लेने का अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के अन्दर फार्म मा0से0क0 ट्रान-1 में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर समान पोर्टल पर जिसमें पृथक् रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट करते हुये इलेक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह कि आयुक्त, मा0से0क0 परिषद की सिफारिश पर नब्बे दिन से अनधिक और अवधि द्वारा नब्बे दिन की अवधि की सीमा बढ़ा सकेगा:

परन्तु यह कि धारा 140 की उप-धारा (1) के तहत दावे के मामले में आवेदन अलग-अलग निर्दिष्ट करेगा—

- (i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6 और 6ए और धारा 8 की उपधारा (8) के तहत दावे का मूल्य आवेदक द्वारा बनाया गया; तथा
- (ii) फॉर्म सी या एफ में घोषणाओं की क्रम संख्या और मूल्य और केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 में वर्णित फॉर्म ई या एच या फॉर्म आई में प्रमाण पत्र, जो आवेदक द्वारा उप-खंड (i) में निर्दिष्ट दावों के समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं।

2.1.8.1 ट्रान-1 के माध्यम से कर निर्धारण आदेशों से अग्रेनीत से अधिक आई0टी0सी0 का लाभ लिया जाना

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915¹³ करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि 37 वा0क0का0¹⁴ के 60 करदाताओं ने ट्रान-1 के सारणी 5(सी) में ₹ 35.99 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ लिया। क0नि0प्रा0 ने, कर निर्धारण करते समय इन करदाताओं को मात्र ₹ 16.49 करोड़ की आई0टी0सी0 अनुमन्य की। इसके परिणामस्वरूप ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 19.50 करोड़ की आई0टी0सी0 का अधिक दावा हुआ जो चूककर्ता करदाताओं से वसूलनीय था, यद्यपि कोई मांग सृजित नहीं की गयी थी (परिशिष्ट-II)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर और समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में आठ मामले में विभाग ने धनराशि ₹ 15.07 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया तथा उनके द्वारा सभी आठ मामलों में धनराशि ₹ 15.07 लाख की वसूली सूचित की गयी। धनराशि ₹ 4.09 करोड़ के 14 मामलों¹⁵ में

¹³ 1,058 मामलों में से सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के कुल जाँच किये गये मामले।

¹⁴ खण्ड 1, 5, 13 एवं 15 वा0क0 आगरा, खण्ड 1 वा0क0 जी0बी0 नगर, खण्ड 4, 12, 13, 16 एवं 17 वा0क0 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0) II, खण्ड 3, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 27 एवं 30 वा0क0 कानपुर, खण्ड 4, 9, 13, 14, 20 एवं 22 वा0क0 लखनऊ एवं खण्ड 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तथा 14 वा0क0 नोएडा।

¹⁵ खण्ड 1 वा0क0 आगरा (09AAACG6742N2Z5), खण्ड 5 वा0क0 आगरा (09AACCP 8075H1Z2), खण्ड 1 वा0क0 जी0 बी0 नगर (09AAACI8344L1Z6), खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद (09AAFCS9163C1Z7), खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद (09AADCN6561H1Z8), खण्ड 30 वा0क0 कानपुर (09AAKFB8041Q1ZT), खण्ड 13 वा0क0 लखनऊ (09AAANPA0571D1Z2), खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ (09AAACL2561J1ZG, 09AAFFT3039B1ZF, 09AAHFJ 5785G1ZW), खण्ड 4 वा0क0 नोएडा (09AACFJ5445 Q1ZR), खण्ड 10 वा0क0 नोएडा (09AAACC0034F1ZA), खण्ड 14 वा0क0 नोएडा (09AAGCP5711L1Z4, 09AABC K8424C1ZP)।

विभाग ने उत्तर दिया कि मा०से०क० व्यवस्था में करदाता केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरित हो गये है तथा सभी कार्यवाही उनके स्तर से की जायेगी। सम्बन्धित केन्द्रीय कर प्राधिकारियों को सूचना प्रेषित कर दी गयी है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में सी०बी०ई०सी० ने के०मा०से०क० ट्रांजिशनल क्रेडिट पर डी०ओ०एफ० 267 / 8 / 2018—सीएक्स.८ दिनांक 14 मार्च, 2018 के अन्तर्गत मार्गदर्शन नोट जारी किया। मार्गदर्शन नोट के प्रस्तर-१२ के अनुसार “१२ प्राधिकार: केन्द्र सरकार के के०मा०से०क० अधिकारी के पास के०मा०से०क० के ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिये कार्यक्षेत्र होगा भले ही मा०से०क० के उद्देश्य के लिये करदाता चाहे केन्द्र सरकार को आवंटित हो या राज्य सरकार को। ऐसा इसलिये है क्योंकि ट्रान क्रेडिट के सत्यापन की प्रक्रिया केवल उसी कर अधिकारी द्वारा की जा सकती है जिसके पास पूर्ववर्ती कानूनों में वैध कार्यक्षेत्र था तथा जिसके पास करदाता का अपेक्षित पूर्ववर्ती अभिलेख है।” चूँकि ये करदाता वैट व्यवस्था में वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत थे तथा इनके पास अपेक्षित पूर्ववर्ती अभिलेख था। अतः उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार सत्यापन किया जाना था। शेष धनराशि ₹ 15.26 करोड़ के 38 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

2.1.8.2 अन्तिम विरासतीय विवरणियों से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रेनीत किया जाना

- (i) लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा०क०का०) में से 116 वा०क०का० के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी ५(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान-१, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेशों की नमूना जाँच की और पाया कि 33 वा०क०का०^{१६} के 44 करदाताओं ने अपने अन्तिम विवरणियों में ₹ 10.15 करोड़ की आई०टी०सी० को अग्रेनीत किया। यद्यपि करदाताओं ने अपने ट्रान-१ के सारणी ५(सी) में अन्तिम विरासतीय विवरणी के अनुसार अर्ह आई०टी०सी० ₹ 10.15 करोड़ के बजाय ₹ 20.24 करोड़ की आई०टी०सी० का लाभ लिया। ये ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे अगस्त 2017 और दिसम्बर 2017 के मध्य किये गये थे परन्तु चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी विभाग ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की शुद्धता की जाँच करने में सक्षम नहीं था, परिणामस्वरूप ₹ 10.09 करोड़ की आई०टी०सी० का अधिक लाभ लिया गया जो कि चूककर्ता करदाताओं से वसूलनीय था (परिशिष्ट-III)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में (जुलाई 2022), विभाग ने नौ मामले में धनराशि ₹ 1.38 करोड़ का लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया तथा उनके द्वारा सभी नौ मामलों में धनराशि ₹ 1.32 करोड़ की वसूली सूचित की गयी। सात मामलों^{१७} धनराशि ₹ 2.54 करोड़ में विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। शेष धनराशि ₹ 6.17 करोड़ के 28 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

^{१६} खण्ड 1, 5, 11, 13, 16 एवं 20 आगरा, खण्ड 1, 2 एवं 3 वा०क० जी० बी० नगर, खण्ड 1, 4, 5, 10 एवं 17 वा०क० गाजियाबाद, खण्ड 2, 5, 7, 11, 13, 16, 17 एवं 20 वा०क० कानपुर, खण्ड 8, 12, 14, 15 एवं 16 वा०क० लखनऊ तथा खण्ड 1, 2, 9, 12, 13 एवं 14 वा०क० नोएज़।

^{१७} खण्ड 5 वा०क० आगरा (09AAHFM0091Q1ZR), खण्ड 1 वा०क० गाजियाबाद (09AAAC W0019N1Z8), खण्ड 4 वा०क० गाजियाबाद (09AAYFA1337J1Z1, 09AABCT3284F2Z9), खण्ड 14 वा०क० नोएज़ (09AAICS2757B1ZC, 09AAFCS0587C1ZD, 09AALPJ3073 F1ZO)।

- (ii) लेखापरीक्षा ने (सितम्बर 2021) 1,058 करदाताओं (124 वार्गिकोकारों) में से 116 वार्गिकोकारों के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि खण्ड 20 वार्गिकोकारों कानपुर के एक करदाता में 0 ओमेगा इन्टरनेशनल (09AEMPA0823R1Z7) ने जैसा कि अन्तिम विरासतीय विवरणी में आई0टी0सी0 अग्रेनीत दिखाया था, के अनुसार ₹ 24.37 लाख की क्रेडिट का लाभ ट्रान-1 की सारणी 5(सी) के अन्तर्गत लिया था। अग्रेतर लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने वार्षिक विवरणी में अग्रेनीत आई0टी0सी0 शून्य प्रदर्शित किया था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार करदाता ₹ 23.19 लाख आई0टी0सी0 के लिये पात्र था, जिसमें से धनराशि ₹ 20.89 लाख करदाता को वापस कर दी गयी थी तथा शेष ₹ 2.30 लाख वैट अवधि में करदाता द्वारा देय कर के विरुद्ध समायोजित कर दी गयी थी। अतः वैट अवधि में करदाता के पास अग्रेषित करने के लिये कोई आई0टी0सी0 नहीं थी। तदनुसार ट्रान-1 के माध्यम से ₹ 24.37 लाख का लाभ लिया जाना अनियमित और वसूलनीय था। इस प्रकार करनीप्राप्त ने उचित तरीके से तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.37 लाख की अधिक आई0टी0सी0 का दावा हुआ। लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2.1.8.3 लंबित घोषणा पत्रों पर अनियमित अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वार्गिकोकारों) में से 116 वार्गिकोकारों (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि छ: वार्गिकोकारों¹⁸ के छ: करदाताओं ने सारणी 5(सी) के माध्यम से ट्रान-1 में ₹ 1.18 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ प्राप्त किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने ₹ 38.00 करोड़ के टर्नओवर को आच्छादित करने वाले फॉर्म 'सी' एवं 'एफ', जिसमें ₹ 3.94 करोड़ कर सन्निहित था, कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष अन्तिम कर निर्धारण के समय तक प्रस्तुत नहीं किया था। यह कर करदाताओं के पास उपलब्ध आई0टी0सी0 से घटाया जाना था। करदाताओं ने त्रुटिपूर्ण ढंग से ट्रान-1 की सारणी 5(सी) में ₹ 1.18 करोड़ में से ₹ 64.28 लाख की आई0टी0सी0 जिसके फॉर्म 'सी' एवं 'एफ' लंबित थे अग्रेनीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.28 लाख की आई0टी0सी0 (ट्रान-1 में दावे की सीमा तक) का अधिक दावा हुआ जो कि वसूलनीय था (परिशिष्ट-IV)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। धनराशि ₹ 48.68 लाख के दो मामलों¹⁹ में, विभाग का उत्तर और समापन गोष्ठी में कथन (जुलाई 2022) स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। दो मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार नहीं किया। इन दो मामलों में विभाग के उत्तर का विश्लेषण सारणी-2.3 में सूचीबद्ध है।

¹⁸ खण्ड 3 एवं 5 वार्गिकोकारों गाजियाबाद, खण्ड 12, 15 एवं 17 वार्गिकोकारों कानपुर एवं खण्ड 10 वार्गिकोकारों नोएडा।

¹⁹ खण्ड 5 वार्गिकोकारों गाजियाबाद (09ACEPG2119G1ZZ) एवं खण्ड 10 वार्गिकोकारों नोएडा (09AABCN7151P1ZX)।

सारणी—2.3

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	खण्ड 12 वार्को कानपुर: ₹ 4,91,73,009 के लंबित घोषणा पत्रों फॉर्म सी के विरुद्ध करदाता द्वारा ₹ 7,67,644 की अनियमित अधिक आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया।	विभाग ने कहा कि दिनांक 30.03.2022 को धारा 28(2)(i) सपष्टित धारा 32 के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है जिसमें ₹ 4.88 करोड़ के चार नग लंबित फॉर्म सी प्रस्तुत किया गया है अतः 2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है।	उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वार्षिक विवरणी और एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश में ₹ 8,33,596 की आई0टी0 सी0 शेष थी परन्तु फॉर्म सी लंबित होने के बावजूद करदाता ने ट्रान-1 में ₹ 7,67,644 की आई0टी0सी0 का लाभ लिया। इस प्रकार करदाता ने ट्रान-1 में आई0टी0सी0 का दावा करते समय ₹ 7,67,644 की आई0टी0 सी0 का अनियमित लाभ लिया।
2	खण्ड 15 वार्को कानपुर: ₹ 95,69,842 के लंबित घोषणा पत्रों फॉर्म सी के विरुद्ध करदाता द्वारा ₹ 2,87,095 की अनियमित अधिक आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया।	विभाग ने अवगत कराया कि प्रेक्षण एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पर आधारित है। दिनांक 23.04.2022 को धारा 28(2)(i) सपष्टित धारा 32 के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है जिसमें ₹ 11.83 लाख की आई0टी0सी0 अग्रेनीत की गयी थी जिसमें ₹ 2,87,095 की आई0टी0सी0 अनियमित थी इस प्रकार करदाता ने ट्रान-1 में आई0टी0सी0 का दावा करते समय ₹ 2,87,095 की आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ लिया।	उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि कर निर्धारण एक पक्षीय था परन्तु कर निर्धारण आदेश में यह उल्लिखित था कि ₹ 95,69,842 के फॉर्म लंबित थे और ₹ 11,83,178 की आई0टी0सी0 अग्रेनीत की गयी थी जिसमें ₹ 2,87,095 की आई0टी0सी0 अनियमित थी इस प्रकार करदाता ने ट्रान-1 में आई0टी0सी0 का दावा करते समय ₹ 2,87,095 की आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ लिया।

शेष धनराशि ₹ 5.05 लाख के दो मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2.1.8.4 वर्ष 2016–17 से 2017–18 में अधिक आई0टी0सी0 ले जाने के कारण ट्रान-1 की सारणी 5(सी) में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

- (i) लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वार्कोका०) में से 116 वार्कोका० के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के ट्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि तीन वार्कोका०²⁰ के तीन करदाताओं ने ट्रान-1 दाखिल किया और ट्रान-1 की सारणी 5(सी) में ₹ 66.93 लाख की आई0टी0सी0 अग्रेनीत किया। वर्ष 2016–17 और 2017–18 की विरासतीय विवरणियों तथा कर निर्धारण आदेश की जाँच में प्रकट हुआ कि इन करदाताओं के पास वर्ष 2016–17 में ₹ 38.56 लाख की आई0टी0सी0 उपलब्ध थी जबकि करदाता ने त्रुटिपूर्ण ढंग से वर्ष 2017–18 में ₹ 51.32 लाख की आई0टी0सी0 अग्रेनीत

²⁰ खण्ड वार्को कानपुर देहात, खण्ड 12 एवं 13 वार्को लखनऊ।

की। इस प्रकार, करदाता वर्ष 2017–18 में ₹ 12.76 लाख की अधिक आईटी०सी० अग्रेनीत करके ले गये जिसमें से करदाताओं ने ट्रान–1 में त्रुटिपूर्ण ढंग से ₹ 9.60 लाख की आईटी०सी० का दावा किया जो कि वसूलनीय था (परिशिष्ट–V)।

धनराशि ₹ 1.79 लाख के एक मामले²¹ में विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लिखित है (जुलाई 2022)। धनराशि ₹ 7.80 लाख के शेष दो मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

(ii) लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वार्कोका०) में से 116 वार्कोका० के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के अभिलेखों की नमूना जाँच की (अगस्त 2021) और पाया कि खण्ड 1 वार्को ३० बी० नगर के एक करदाता में भारत प्रिन्ट्स (09AALPW0556A1ZN) ने ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में ₹ 12.23 लाख की आईटी०सी० अग्रेनीत किया। अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016–17 और 2017–18 की विरासतीय विवरणी तथा कर निर्धारण आदेश के अनुसार करदाता द्वारा रंग, डाइज एवं रसायनों की खरीद पर वर्ष 2016–17 में ₹ 10.71 लाख की आईटी०सी० अर्जित किया गया था जिसे क०नि०प्रा० द्वारा उत्क्रमित कर दिया गया क्योंकि कपड़ों की छपाई में रंग, डाइज एवं रसायनों के प्रयोग पर करदाता द्वारा करदेयता स्वीकार नहीं की गयी थी। जबकि करदाता द्वारा वर्ष 2016–17 से अपने जून 2017 की विवरणी में ₹ 10.71 लाख की आईटी०सी० अग्रेनीत की गयी थी। वर्ष 2017–18 में भी करदाता ने खरीद पर ₹ 1.52 लाख की आईटी०सी० का दावा किया। चूंकि करदाता ने कपड़ों की छपाई में रंग, डाइज एवं रसायनों के प्रयोग पर कोई करदेयता स्वीकार नहीं की थी, करदाता को कोई आईटी०सी० अनुमन्य नहीं की जानी चाहिये थी। अतः करदाता द्वारा ट्रान–1 में ₹ 12.23 लाख की आईटी०सी० दावा अनियमित था तथा उत्क्रमित किये जाने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2.1.8.5 ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में टीडीएस का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अनुमन्य अनियमित दावा

उप्र०मा०स०क० अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार करदाता के अन्तिम विरासतीय विवरणियों में उपलब्ध आईटी०सी०, पूंजीगत माल का लाभ नहीं लिया गया, क्रेडिट नियत तिथि से 30 दिनों के अन्दर लेखों में शामिल की गयी पारगमन में छूट प्राप्त मालों की आईटी०सी० करमुक्त मालों के भण्डार पर आईटी०सी० और मालों जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है लेकिन उनके पश्चातवर्ती विक्रय विद्यमान कानूनों में कर के अधीन नहीं हैं लेकिन अब मा०स०क० कानून में करयोग्य है की आईटी०सी० का दावा ट्रान–1 में अनुमन्य है।

लेखापरीक्षा ने (नवम्बर 2021) 1,058 करदाताओं (124 वार्कोका०) में से 116 वार्कोका० के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि खण्ड 13 वार्को ३० नोएडा के एक

²¹ खण्ड वार्को कानपुर देहात (09AGJPA9427E1ZF)।

करदाता मे0 ओएसएस कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 नोएडा (09AACCO0915H1ZM) ने ट्रान-1 की सारणी 5(सी) में ₹ 23.78 लाख की आई0टी0सी0 का लाभ लिया जो कि क0नि0प्रा0 द्वारा भी उसके कर निर्धारण आदेश में अनुमन्य की गयी थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता द्वारा ट्रान-1 में स्रोत पर कर से सम्बन्धित धनराशि ₹ 23.78 लाख का दावा किया गया था जो कि मा0से0क0 अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुकूल नहीं था। इस प्रकार, क0नि0प्रा0 जब कर निर्धारण आदेश पारित कर रहे थे, तथ्यों का उचित तरीके से परीक्षण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 23.78 लाख का अधिक दावा किया गया जो कि करदाता से वसूल किये जाने योग्य था।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में और समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है।

2.1.8.6 ट्रान-1 में त्रुटिपूर्ण दावा की गयी आई0टी0सी0 की वसूली न होना

लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की (नवम्बर 2021) और पाया कि खण्ड 14 वा0क0 लखनऊ के एक करदाता मे0 शालीमार केएसएमबी प्रोजेक्ट्स लखनऊ (09ACFFS5832H1ZV) जो फ्लैटों का निर्माण करते हैं, ने अपने अन्तिम विरासतीय विवरणी के अनुसार ट्रान-1 की सारणी 5(सी) में ₹ 1.45 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया। क0नि0प्रा0 जब वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण कर रहे थे तो जिसके लिये संभावित खरीददारों के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था की निर्माण सामग्री की खरीद पर अर्जित की गयी कुल ₹ 2.12 करोड़ की आई0टी0सी0 में से फ्लैटों के निर्माण के निष्पादन में की गयी आपूर्ति 48.53 प्रतिशत की सीमा तक ₹ 1.04 करोड़ की आई0टी0सी0 अनुमन्य किया। शेष आई0टी0सी0 ₹ 1.08 करोड़ जब्त कर ली गयी थी तथा अगले वर्ष के लिये कोई आई0टी0सी अग्रेनीत नहीं की गयी थी। इसी प्रकार क0नि0प्रा0 द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल आई0टी0सी ₹ 69.36 लाख में से ₹ 33.95 लाख (बिक्री की सीमा 48.95 प्रतिशत तक) की आई0टी0सी0 को अनुमन्य किया गया था तथा शेष ₹ 35.41 लाख की आई0टी0सी0 को जब्त कर लिया गया था। इस प्रकार अगले कर अवधि के लिये कोई आई0टी0सी0 अग्रेनीत नहीं की गयी थी।

इस प्रकार ट्रान-1 में ₹ 1.45 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा अनियमित था तथा ठेकेदार से वसूल किये जाने योग्य था। क0नि0प्रा0 ₹ 1.45 करोड़ के आई0टी0सी0 के अधिक दावे को वसूल करने में असफल रहे।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में और समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है।

2.1.9 सारणी 6(बी) के माध्यम से अधिक क्रेडिट का लाभ लिया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) यह निर्धारित करती है कि धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति अपने ई0क्रेनोलो0 में, पूँजीगत माल के सम्बन्ध में उपभोग न की गयी आई0टी0सी0 की जमा, जो उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त अवधि के लिये दाखिल विवरणी में अग्रेनीत नहीं की गयी है, ऐसी अवधि में एवं ऐसी रीति से जो विहित की जाये, लेने का हकरदार होगा:

परन्तु पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उक्त क्रेडिट विद्यमान विधि के अधीन आई0टी0सी0 के रूप में अनुमत्य नहीं थी और इस अधिनियम के अधीन भी आई0टी0सी0 के रूप में अनुमत्य न हो।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये “उपभोग न की गयी आई0टी0सी0” पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि आई0टी0सी0 की रकम के घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति ने आई0टी0सी0 की सकल रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूँजीगत माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की रकम प्राप्त कर ली है जो विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूँजीगत माल के सम्बन्ध में हकदार था।

उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 का नियम 117(1) यह निर्धारित करता है कि धारा 140 के अधीन इनपुट टैक्स की क्रेडिट को लेने का अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्रारूप मा0से0क0 ट्रॉन-1 में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर समान पोर्टल पर जिसमें पृथक् रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट करते हुये इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा:

अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 का नियम 117(2) यह निर्धारित करता है कि उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक घोषणा में—

- (क) धारा 140 की उपधारा (2) के अधीन दावे की स्थिति में नियत दिन पर पूँजीगत माल के प्रत्येक मद के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियां पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की जायेंगी—
 - (i) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से उपलब्ध या प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम; और
 - (ii) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से अभी तक उपलब्ध या प्रयुक्त किये जाने वाले कर या शुल्क की रकम।

2.1.9.1 ट्रान-1 एवं कर निर्धारण आदेश में अन्तर के कारण ट्रान-1 की सारणी 6(बी) में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 65 वा0क0का0 के 226²² करदाताओं (जिन्होंने सारणी 6(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के ट्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि आठ वा0क0का0²³ के आठ करदाताओं ने ट्रान-1 दाखिल किया और ट्रान-1 की सारणी 6(बी) में वैट अवधि से सम्बन्धित पूँजीगत माल की ₹ 97.48 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कर निर्धारण आदेश में निर्धारित था कि वे पूँजीगत माल के कुल केवल ₹ 55.08 लाख की अनुप्रयुक्त आई0टी0सी0 के लिये पात्र थे। करदाता ने पूँजीगत माल के कुल अनुप्रयुक्त अर्ह ₹ 55.08 लाख की आई0टी0सी0 के बजाय त्रुटिपूर्वक ₹ 97.48 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप वैट अवधि के पूँजीगत माल की उपभोग न की गयी आई0टी0सी0 ₹ 42.40 लाख का अधिक दावा ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में हुआ और वह वसूलनीय था (परिशिष्ट—VI)।

²² 1,058 मामलों में से सारणी 6(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के जाँच किये गये कुल मामले।

²³ खण्ड 15 वा0क0 आगरा, खण्ड 9 एवं 17 वा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 14 वा0क0 कानपुर, खण्ड 22 वा0क0 लखनऊ एवं खण्ड 2, 4 एवं 13 वा0क0 नोएडा।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग ने धनराशि ₹ 13.02 लाख के एक मामले में प्रेक्षण को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और उतनी ही (₹ 13.02 लाख) वसूली सूचित की। धनराशि ₹ 0.12 लाख के एक मामले²⁴ में, विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। एक मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण सारणी-2.4 में सूचीबद्ध है।

सारणी-2.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	खण्ड 9 वांका गाजियाबादः द्रान-1 की सारणी 6(बी) में करदाता द्वारा पूंजीगत माल की ₹ 3,84,886 आईटी०सी० का लाभ प्राप्त किया गया।	विभाग ने उत्तर दिया कि त्रुटिवश वार्षिक विवरणी एवं वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण आदेश में ₹ 9,99,343 की आईटी०सी० का यह संशोधन पूंजीगत माल की आईटी०सी० के दावे को प्रभावित नहीं करता है। यह द्रान-1 की सारणी 5(सी) में दावा की गयी आईटी०सी० से सम्बन्धित है। अतः पूंजीगत माल की आईटी०सी० ₹ 3,84,886 करदाता से वसूली योग्य थी।	उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि ₹ 9,99,343 की आईटी०सी० का यह संशोधन पूंजीगत माल की आईटी०सी० के दावे को प्रभावित नहीं करता है। यह द्रान-1 की सारणी 5(सी) में दावा की गयी आईटी०सी० से सम्बन्धित है। अतः पूंजीगत माल की आईटी०सी० ₹ 3,84,886 करदाता से वसूली योग्य थी।

शेष पांच मामलों धनराशि ₹ 25.41 लाख में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2.1.9.2 द्रान-1 एवं वार्षिक विवरणी में अन्तर के कारण द्रान-1 की सारणी 6(बी) में पूंजीगत माल का अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

लेखापरीक्षा ने (सितम्बर 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वांकोका०) में से 65 वांकोका० के 226 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 6(बी) के अन्तर्गत द्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के द्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि तीन वांकोका०²⁵ के तीन करदाताओं ने द्रान-1 दाखिल किया और द्रान-1 की सारणी 6(बी) में वैट अवधि से सम्बन्धित पूंजीगत माल की ₹ 2.35 करोड़ की आईटी०सी० का दावा किया। जबकि, वार्षिक विवरणी में उन्होंने पूंजीगत माल की ₹ 32.87 लाख की अनुप्रयुक्त आईटी०सी० अग्रेनीत किया था। इस प्रकार करदाताओं ने पूंजीगत माल की ₹ 2.02 करोड़ की आईटी०सी० का त्रुटिपूर्ण दावा किया जो कि उठोप्र०मा०से०क० अधिनियम, 2017 के आलोक में वसूली योग्य था (**परिशिष्ट-VII**)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में एवं समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है।

²⁴ खण्ड 4 वांको नोएडा (09AACFJ5445Q1ZR)।

²⁵ ज्वांकमि० (का०स०) II वांको गाजियाबाद एवं ज्वांकमि० (का०स०) II तथा खण्ड 27 वांको कानपुर।

2.1.9.3 ट्रान-1 में विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण करदाताओं द्वारा पूँजीगत माल की असत्यापित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वार्षिकों) में से 65 वार्षिकों के 226 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 6(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान-1, अंतिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि सात वार्षिकों²⁶ के 12 करदाताओं ने ट्रान-1 दाखिल किया और ट्रान-1 की सारणी 6(बी) में वैट अवधि से सम्बन्धित पूँजीगत माल की ₹ 5.09 करोड़ की अनुप्रयुक्त आई0टी0सी0 का दावा किया। जबकि यह पाया गया कि ट्रान-1 में पूँजीगत माल के क्रय से सम्बन्धित बीजकों के विवरण उपलब्ध नहीं थे। अग्रेतर, चूँकि विभाग ने कोई वार्षिक विवरणियां, कर निर्धारण आदेश प्रस्तुत नहीं किया था, लेखापरीक्षा इन करदाताओं के द्वारा दावा एवं लाभ ली गयी धनराशि की शुद्धता सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था (परिशिष्ट-VIII)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। धनराशि ₹ 4.85 करोड़ के 10 मामलों²⁷ में, विभाग का उत्तर एवं समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में कथन स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। शेष धनराशि ₹ 24.54 लाख के दो मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

2.1.10 सारणी 7(बी) के माध्यम से अधिक क्रेडिट का लाभ लिया जाना

उ0प्र0मा0स0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140(5) यह निर्धारित करती है कि कोई पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात प्राप्त इनपुटों के सम्बन्ध में अपने इ0क्रो0ले0 में मूल्य सर्वार्थित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके सम्बन्ध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय सम्बन्धी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था।

परन्तु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर आयुक्त द्वारा विस्तारित होगी जो तीस दिन की अवधि से अधिक न हो।

परन्तु यह और कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा जो कि लिया गया है, के सम्बन्ध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

²⁶ ज्वा0कमि0 (का0स0) I, II, खण्ड 4, 7 वार्षिक गाजियाबाद, खण्ड 11 वार्षिक लखनऊ एवं खण्ड 10 तथा 14 वार्षिक नोएडा।

²⁷ ज्वा0कमि0 (का0स0-I) वार्षिक गाजियाबाद (09AAACS0229G1ZN, 09AAACR 1435K1ZD), ज्वा0कमि0 (का0स0 II) वार्षिक गाजियाबाद (09AAACA9942Q1ZY, 09AAACB1247M1ZN, 09AAACS0189B1ZM), खण्ड 7 वार्षिक गाजियाबाद (09AAA CS1110J1ZQ), खण्ड 10 वार्षिक नोएडा (09AABCL5987H1Z0, 09AACCO2600H1ZS) एवं खण्ड 14 वार्षिक नोएडा (09AACCG4124A1Z7, 09AAACP9581G1ZY)।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 2(एफ) यह निर्धारित करती है कि संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त पूंजीगत माल, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 13 के अनुसार आई0टी0सी0 के दावे के उद्देश्य के लिये, पूंजीगत माल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया था। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार समाधान योजना के अन्तर्गत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वाले व्यापारियों को आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं थी। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) यह निर्दिष्ट करती है कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उक्त क्रेडिट विद्यमान कानून के अन्तर्गत आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य नहीं थी और इस अधिनियम के अन्तर्गत भी आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य न हो।

2.1.10.1 ट्रान-1 की सारणी 7(बी) में अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

- (i) लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वार्करको) में से 60 वार्करको के 148²⁸ करदाताओं (जिन्होंने सारणी 7(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के ट्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि नौ वार्करको²⁹ के नौ करदाताओं ने ट्रान-1 दाखिल किया और ट्रान-1 की सारणी 7(बी) में ₹ 2.81 करोड़ की क्रेडिट का लाभ लिया। यद्यपि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीजकों के विवरण, वस्तुओं के विवरण, मात्रा, मूल्य, कर और लेखों में प्रविष्टि का दिनांक ट्रान-1 की सारणी 7(बी) में नहीं अंकित किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त विवरणों के बिना करदाताओं को ₹ 2.81 करोड़ की आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं थी जो वसूल की जानी चाहिये थी। क0नि0प्रा0, कर निर्धारण आदेश पारित करने के दौरान तथ्यों की जाँच करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 2.81 करोड़ की आई0टी0सी0 का अधिक दावा हुआ (**परिशिष्ट-IX**)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग ने धनराशि ₹ 0.88 लाख के एक मामले के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जुलाई 2022)। धनराशि ₹ 2.53 करोड़ के तीन मामलों³⁰ में, विभाग का उत्तर एवं समापन गोष्ठी में कथन स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। एक मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **सारणी-2.5** में सूचीबद्ध है।

²⁸ 1,058 में से सारणी 7(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के जाँच किये गये कुल दावों की संख्या।

²⁹ खण्ड 1, 3 वार्कर जी0बी0 नगर, ज्या0कमि0 (का0स0) II, खण्ड 5 वार्कर गाजियाबाद, ज्या0कमि0 (का0स0) II, खण्ड 29 एवं 30 वार्कर कानपुर, खण्ड 8 वार्कर लखनऊ तथा खण्ड 13 वार्कर नोएडा।

³⁰ खण्ड 1 वार्कर जी0बी0 नगर (09AAACI8344L1Z6), ज्या0कमि0 (का0स0) II वार्कर गाजियाबाद (09AAACA9942Q1ZY) एवं खण्ड 5 वार्कर गाजियाबाद (09AABCF80 78M1ZZ)।

सारणी—2.5

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभाग का उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	खण्ड 8 वा०क० लखनऊः ट्रान—1 की सारणी 7(बी) में करदाता द्वारा ₹ 1,10,503 की अनियमित आई०टी०सी० का लाभ प्राप्त किया गया। .	विभाग ने कहा कि वार्षिक विवरणी, बैलेन्स शीट, खरीद एवं बिक्री के विवरण से लाभ एवं हानि खाता तथा कर निर्धारण आदेश से जाँच के पश्चात करदाता को एक नोटिस जारी की गयी थी। करदाता ने उत्तर दिया कि लाभ एवं हानि खाते में ₹ 2.38 लाख की धनराशि कमीशन एवं इन्सेटिव शीर्ष से सम्बन्धित है तथा कर का कोई भी घटक इसमें सम्मिलित नहीं है। यह धनराशि विक्रय का भाग भी नहीं है।	विभाग ने अपने उत्तर में सारणी 7(बी) में दावा की गयी आई०टी०सी० के मुददे को सम्बोधित नहीं किया।

शेष चार मामलों में धनराशि ₹ 26.00 लाख में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही की जा रही है (जुलाई 2022)।

(ii) लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वा०क०का०) में से 60 वा०क०का० के 148 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 7(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के ट्रान—1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की (नवम्बर 2021) और पाया कि खण्ड 21 वा०क० लखनऊ के 12 करदाताओं में से एक करदाता में ₹ 1.94 लाख की आई०टी०सी० का दावा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता संकर्म संविदा में लगा हुआ था। यद्यपि, उसने पूंजीगत माल के बीजकों पर ₹ 1.94 लाख की आई०टी०सी० का दावा किया था। इस प्रकार करदाता द्वारा दावा की गयी ₹ 1.94 लाख की आई०टी०सी० अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी तथा जिसे अस्वीकृत किये जाने की आवश्यकता थी। क०नि०अ० ने उचित तरीके से तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ट्रान—1 की सारणी 7(बी) के माध्यम से ₹ 1.94 लाख की अनियमित आई०टी०सी० का दावा हुआ जो वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2.1.11 ट्रान—1 की सारणी 7(सी) में पूंजीगत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमन्यता

उ०प्र०मा०स०क० 2017 की धारा 140(2) यह निर्धारित करती है कि धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति पूंजीगत माल के सम्बन्ध में अनुप्रयुक्त आई०टी०सी० की जमा जो विवरणी में अग्रेनीत नहीं की गयी है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अन्तर्गत ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्ति अवधि के लिये अपने इ०क्र०ल० में लेने का, हकदार होगा। परन्तु पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं होगी

जब तक कि उक्त क्रेडिट विद्यमान कानून के अन्तर्गत आईटी0सी0 के रूप में अनुमन्य नहीं थी और इस अधिनियम के अन्तर्गत भी आईटी0सी0 के रूप में अनुमन्य न हो।

उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली, 2008 का नियम 21(1)(एन) यह निर्धारित करता है कि ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में जो पूंजीगत माल हो एवं ऐसा पूंजीगत माल जो किसी व्यापारी द्वारा करमुक्त माल के निर्माण में प्रयोग या उपभोग के लिये खरीदा गया हो के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के क्रेडिट की कोई धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वारक0का0) में से 55 वारक0का0 के 91³¹ करदाताओं (जिन्होंने सारणी 7(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान-1, अंतिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरण एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की (दिसम्बर 2021) और पाया कि ज्वारकमि0 (का0स0) वारक0 आयल सेक्टर, लखनऊ के कार्यालय में दो करदाताओं में से एक करदाता मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 (09AAACI1681G1ZN) जो वैट अवधि के दौरान कर मुक्त माल (एलपीजी) के निर्माण एवं बिक्री में लगे हुये थे, ने ट्रान-1 की सारणी 7(सी) में सिलिंडर एवं एलपीजी डीपीआर (प्रेशर रेगुलेटर) (पूंजीगत माल) जो घरेलू एलपीजी के निर्माण एवं वितरण में प्रयुक्त हुआ था, पर ₹ 4.73 करोड़ की आईटी0सी0 का दावा किया। चूंकि करदाता कर मुक्त माल के निर्माण एवं विक्रय में लगा हुआ था उन्हें उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत माल पर इनपुट टैक्स की क्रेडिट अनुमन्य नहीं थी। क0नि0प्रा0 करदाता का कर निर्धारण करते समय, ट्रान-1 की सारणी 7(सी) में दावा की गयी आईटी0सी0 ₹ 4.73 करोड़ का परीक्षण करने में असफल रहे जो कि उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और जिसे अनुमन्य न किये जाने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में एवं समापन गोष्ठी में विभाग ने धनराशि ₹ 4.73 करोड़ के प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 4.73 करोड़ की वसूली सूचित की गयी (जुलाई 2022)।

2.1.12 ट्रान-1 की सारणी 11 में इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे का असत्यापन

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 142(11)(सी) यह निर्धारित करती है कि जहां उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5 के अन्तर्गत दोनों में से किसी आपूर्ति पर कर देय था, इस अधिनियम के अधीन ऐसा कर उद्ग्रहीत किया जायेगा तथा करदाता नियत दिन के पश्चात की गई आपूर्तियों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन अदा किये गये मू0सं0क0 या सेवा कर की क्रेडिट को लेने के लिये हकदार होगा तथा ऐसी क्रेडिट की उस रीति में जैसी विहित की जाये गणना की जायेगी। अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 118 के अन्तर्गत प्रत्येक करदाता, आपूर्ति का अनुपात, जिसको नियत दिन से पूर्व मूल्य संवर्धित कर या सेवा कर संदर्त्त किया जा चुका है, लेकिन आपूर्ति नियत दिन के बाद की गई है और उस पर आईटी0सी0 अनुज्ञेय है, की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

³¹ कुल 1,058 मामलों में से ट्रान-1 की सारणी 7(सी) के अन्तर्गत दावा किये गये मामले की जाँच की गई है।

लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वार्कोका०) में से 15 वार्कोका० के 31³² करदाताओं (जिन्होंने सारणी 11 के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की (सितम्बर 2021) और पाया कि खण्ड 16 वार्को गाजियाबाद के 25 करदाताओं में से 16 करदाताओं ने ट्रान-1 दाखिल किया एवं ट्रान-1 की सारणी 11 में ₹ 51.97 करोड़ की आई०टी०सी० का दावा किया। अग्रेतर, इन करदाताओं ने जैसा कि ट्रान-1 की सारणी 11 में आवश्यक था, वस्तुओं की खरीद के बीजकों के विवरण, संदत्त कर एवं संदत्त वैट जिसे रा०मा०से०को के रूप में लिया गया था दाखिल किया था। यद्यपि, नियत दिनांक के पूर्व एवं पश्चात की गयी आपूर्तियों के विवरण एवं द्विभाजन जैसा अधिनियम एवं नियमों में विहित किया गया है उपलब्ध नहीं था। इन आवश्यक विवरणों के अभाव में करदाताओं द्वारा ₹ 51.97 करोड़ की आई०टी०सी० का दावा अभिनिश्चित नहीं किया गया (परिशिष्ट-X)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग ने एक मामले में धनराशि ₹ 61.55 लाख के प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 61.55 लाख की वसूली सूचित की गयी (जुलाई 2022)। धनराशि ₹ 47.63 करोड़ के छः मामलों³³ में विभाग का उत्तर एवं समापन गोष्ठी में कथन स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। शेष धनराशि ₹ 3.73 करोड़ के चार मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

2.1.13 ट्रान-1 में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ पर ब्याज की वसूली न होना

उ०प्र०मा०से०को अधिनियम, 2017 की धारा 73(1) यह निर्धारित करती है कि जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश वापसी की गयी है या जहाँ आई०टी०सी० का लाभ करापवंचना के करने से या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के अतिरिक्त किसी भी कारण से गलत ढंग से लिया गया या उसका उपयोग किया गया है, वह उस व्यक्ति पर प्रभार्य कर के साथ नोटिस की तामील करेगा जो इस प्रकार संदाय नहीं किया गया या कम संदाय किया गया है या जिसकी वापसी त्रुटिपूर्ण ढंग से कम की गयी हो या जिसने गलत ढंग से आई०टी०सी० लिया या उपयोग किया हो, उनसे यह कारण बताने की उपेक्षा की जाती है कि उन्हें नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि का भुगतान 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित क्यों नहीं करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 124 वार्कोका० के 1,058 करदाताओं के ट्रान-1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) नमूना जाँच की और पाया कि तीन वार्कोका०³⁴ के तीन करदाताओं ने ट्रान-1 दाखिल किया और ट्रान-1 के माध्यम से ₹ 11.78 लाख की आई०टी०सी० का दावा किया। जबकि, उनके इ०क्र००ले० में ₹ 67.85 लाख की आई०टी०सी० क्रेडिट हुई थी। इस प्रकार व्यापारियों ने अनुमन्य आई०टी०सी० ₹ 40.66 लाख के बजाय त्रुटिपूर्वक ₹ 67.85 लाख की आई०टी०सी० का लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.19 लाख की अधिक आई०टी०सी० का दावा किया गया जो कि उस पर देय ब्याज सहित

³² कुल 1,058 मामलों में से ट्रान-1 की सारणी 11 के अन्तर्गत दावा किये गये मामले की जाँच की गई।

³³ खण्ड 16 वार्को गाजियाबाद (09AACCI9503M107, 09AAACM6572A1ZN, 09AADCG 9947J1ZY, 09AADCN2095A1ZP, 09AAACX0984F1Z6 एवं 09AADCG9948H1Z2)।

³⁴ खण्ड 1 वार्को जी०बी० नगर, खण्ड 2 वार्को गाजियाबाद एवं खण्ड 2 वार्को कानपुर।

वसूलनीय था। जबकि यह पाया गया कि करदाताओं ने बिना ₹ 11.78 लाख देय ब्याज दिये हुये अधिक आई0टी0सी0 ₹ 27.19 लाख जमा कर दिया था। ब्याज की धनराशि को न तो करदाताओं ने जमा किया था और न ही विभाग द्वारा मांग की गयी थी (परिशिष्ट-XI)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग ने एक मामले में धनराशि ₹ 0.49 लाख के प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 0.49 लाख की वसूली सूचित की गयी (जुलाई 2022)। शेष दो मामलों में धनराशि ₹ 11.28 लाख में विभाग ने समापन गोष्ठी में उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

2.1.14 निष्कर्ष एवं संस्तुति

लेखापरीक्षा जाँच ने विभाग द्वारा परिकल्पित एवं अपनाए गये सत्यापन तंत्र में कमियों को दर्शाया। नई कर व्यवस्था को लागू हुये चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी सत्यापन की प्रक्रिया अभी पूर्ण होनी थी। 86 करदाताओं (40 वार्कोका0) ने ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में ₹ 35.46 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ लिया और इन मामलों में एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश शून्य आई0टी0सी0 के साथ पारित किये गये जिसके परिणामस्वरूप इन 86 मामलों में आई0टी0सी0 का दावा सुनिश्चित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षित 1,058³⁵ मामलों (124 वार्कोका0 में) में से 165 दावों (68 खण्डों में) में ₹ 99.56 करोड़ धनराशि का अनुपालन विचलन पाया।

संस्तुति

सरकार ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए एक समय सीमा तय करने पर विचार कर सकती है और सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर समुचित सहायक दस्तावेजों के साथ ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावों की जाँच के लिए निर्देश दे सकती है। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये गये ट्रांजिशनल क्रेडिट के अधिक लाभ के मामले का भी पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

2.2 “माल एवं सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण पर अनुपालन लेखा परीक्षा”

2.2.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को अपर मुख्य सचिव (वाणिज्य कर और मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिशनर, वाणिज्य कर (वा0क0), उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनकी सहायता के लिए 100 एडीशनल कमिशनर, 157 ज्वाइंट कमिशनर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिशनर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिशनर (असि0कमि0)

³⁵ 1,058 करदाताओं (124 खण्डों) में से— 915 करदाता (116 खण्ड) सारणी 5सी से सम्बन्ध रखते हैं, 226 करदाता (65 खण्ड) सारणी 6बी से सम्बन्ध रखते हैं, 148 करदाता (60 खण्ड) सारणी 7बी से सम्बन्ध रखते हैं, 91 करदाता (55 खण्ड) सारणी 7सी से सम्बन्ध रखते हैं, 106 करदाता (64 खण्ड) सारणी 7डी से सम्बन्ध रखते हैं, 20 करदाता (17 खण्ड) सारणी 10ए से सम्बन्ध रखते हैं, 18 करदाता (12 खण्ड) सारणी 10बी से सम्बन्ध रखते हैं तथा 31 करदाता (15 खण्ड) सारणी 11 से सम्बन्ध रखते हैं।

और 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (मा०क०अ०) होते हैं। 1 जुलाई, 2017 से विभाग राज्य में मौजूदा कानून के अन्तर्गत माल और सेवा कर (मा०से०क०) का प्रशासन भी देख रहा है।

माल एवं सेवा कर (मा०से०क०)³⁶ राज्य के अन्दर माल अथवा सेवाओं (मानव उपभोग के लिए मदिरा एवं पाँच विशिष्टीकृत पेट्रोलियम उत्पादों³⁷ को छोड़कर) की आपूर्ति पर पृथक—पृथक एवं समवर्ती रूप से संघ (के०मा०से०क०) एवं राज्यों (रा०मा०से०क०)/ संघ शासित प्रदेश (स०शा०प्र०मा०से०क०) के द्वारा आरोपित की जाती है। अग्रेतर, नये कर विधान के प्रावधानों के अंतर्गत माल अथवा सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति (आयात सहित) पर एकीकृत मा०से०क० (ए०मा०से०क०) आरोपित किया जाता है।

2.2.2 परिचय

मा०से०क० प्रतिदाय कर प्रशासन से करदाता को देय किसी भी राशि को संदर्भित करता है; मा०से०क० कानूनों में निहित प्रतिदाय से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य मा०से०क० व्यवस्था में प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और आदर्श के अनुरूप बनाना है। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ०प्र०मा०से०क०) अधिनियम, 2017 की धारा 54 और नियमावली 2017 के नियम 89(1) और 89 (2) में दिए गए सुसंगत प्रावधान विभिन्न स्थितियों का एक विहंगावलोकन देते हैं जो प्रतिदाय दावे को आवश्यक बना सकते हैं। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, एक अस्थायी तंत्र तैयार और कार्यान्वित किया गया था। **परिपत्र संख्या 17 / 17 / 2017— मा०से०क० दिनांक 15.11.2017 और परिपत्र संख्या 24 / 24 / 2017—मा०से०क० दिनांक 21.12.2017** को विस्तृत प्रक्रियाओं को बताते हुए जारी किया गया था। इस इलेक्ट्रॉनिक—सह—मैनुअल प्रक्रिया में, आवेदकों को सामान्य पोर्टल पर प्रतिदाय आवेदन पत्र मा०से०क० आरएफडी—01ए में दाखिल करने की आवश्यकता थी, उसका एक प्रिंट आउट लेकर सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ इसे अधिकार क्षेत्र वाले कर कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना था। मास्टर सर्कुलर सं० 125 / 44 / 2019— मा०से०क० दिनांक 18 नवंबर 2019 इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन और प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देशों का उल्लेख करता है। यद्यपि, 26 सितंबर 2019 से पहले कॉमन पोर्टल पर दाखिल किए गए सभी प्रतिदाय आवेदनों के लिए पहले के परिपत्रों के प्रावधानों को लागू करना जारी रखा गया और आवेदन को मानवीय रूप से संसाधित करना जारी रखा गया जैसा कि नई प्रणाली लागू होने के पूर्व किया गया था।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

मा०से०क० व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए आयोजित की गयी थी:

- (i) प्रतिदाय की स्वीकृति के संबंध में जारी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- (ii) कर प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान प्रावधानों के अनुपालन और करदाता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रणालियों की प्रभावशीलता;
- (iii) क्या प्रतिदाय आवेदनों के निस्तारण में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जाँच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है;

³⁶ केन्द्रीय मा०से०क०: के०मा०से०क० एवं राज्य/संघ शासित प्रदेश: मा०से०कर: रा०मा०से०क० / स०शा०प्र०मा०से०क०।

³⁷ पेट्रोलियम उत्पाद क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्ड में शामिल थे:

- (i) उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- (ii) उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017
- (iii) एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- (iv) सरकार/विभाग द्वारा समय—समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र

2.2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति में विभाग द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों के स्वीकृत प्रतिदाय दावों की सत्यता का सत्यापन करना शामिल है। इसमें प्रतिदाय मामलों के संबंध में विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों की जांच भी शामिल है। फील्ड ऑडिट के दौरान, वार्कोविंग के कार्यालयों में चयनित मामलों में जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के मध्य संसाधित किए गए प्रतिदाय मामलों की जांच की गई। कमिशनर, वाणिज्य कर के साथ दिनांक 25 मार्च 2021 को एक परिचयात्मक गोष्ठी आयोजित की गयी। फील्ड ऑडिट फरवरी 2021 से नवंबर 2021 के बीच आयोजित किया गया। शासन एवं विभाग को 28 अप्रैल 2022 को मसौदा जारी किया गया था। विभाग का उत्तर 6 जुलाई 2022 को प्राप्त हुआ।

2.2.6 नमूना चयन

जीएसठीएन ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक अखिल भारतीय प्रतिदाय आँकड़े प्रदान किये हैं। यह देखते हुए कि 26 सितम्बर 2019 के दोनों तरफ उपलब्ध प्रतिदाय डाटा में काफी भिन्नता है, इन दो चरणों के लिए प्रतिदाय जोखिम के मापदण्ड भी अलग हैं। 26 सितंबर 2019 से पहले की अवधि के लिए चूंकि कोई अन्य प्रासंगिक जोखिम मापदण्ड उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतिदाय आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई प्रतिदाय राशि के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। इसके पश्चात, क्रमबद्ध किए गए प्रतिदाय आवेदनों को चर्तुथकों में विभाजित किया गया और नमूना तैयार किया गया। 26 सितंबर 2019 के बाद दाखिल किए गए प्रतिदाय आवेदनों का चयन करने के लिए, दावा किए गए प्रतिदाय राशि (60 प्रतिशत महत्व वाले प्रतिदाय), प्रतिदाय की स्वीकृति में देरी (15 प्रतिशत), प्रतिदाय स्वीकृत/प्रतिदाय दावा अनुपात (10 प्रतिशत) जैसे जोखिम मापदण्डों का उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया था एवं कमीपूरक ज्ञापन जारी किया गया था (15 प्रतिशत)। 26 सितंबर 2019 के बाद की अवधि के लिए प्रतिदाय आवेदनों का चयन उपरोक्त प्राप्त जोखिम स्कोर के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के लिए वाणिज्य कर विभाग के 152 खण्डों के 1,442 (751 पूर्व स्वचालन और 691 पश्च स्वचालन) चयनित प्रतिदाय मामलों का नमूना चयन किया गया था, जिनमें से 12³⁸ प्रतिदाय प्रकरणों के अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण जांच नहीं की जा सकी। इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा 1,442 मामलों के नमूने में से 1,430 मामलों का सत्यापन किया जा सका। चयनित मामलों का विवरण इस प्रकार है:

³⁸ डिकमी 0 खण्ड-15 गाजियाबाद के आठ प्रतिदाय मामले और डिकमी 0 खण्ड-16 गाजियाबाद के चार मामले के लेखापरीक्षा के लिए नहीं भेजे गये जिन्हे आग में नष्ट हुआ बताया गया है।

सारणी-2.6

क्र. सं.	प्रतिदाय श्रेणी	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	सेक्टर्स / वार्कोका० की संख्या
1.	कर के भुगतान के बिना निर्यात के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी	823	504.74	80
2.	कर के भुगतान के साथ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर भुगतान किए गए कर की वापसी	5	5.67	4
3.	कर के भुगतान के बिना एस0ई0जेड इकाई/एस0ई0जेड0 डेवलपर को की गई आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी	17	27.14	3
4.	एस0ई0जेड0/इकाई/एस0ई0जेड0 डेवलपर को की गई आपूर्ति पर कर के भुगतान के साथ भुगतान किए गए कर की वापसी	4	3.81	2
5.	प्रतिलोमित कर संरचना के कारण जमा की गयी अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी	375	940.91	87
6.	डीम्ड निर्यात आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के आपूर्तिकर्ता को वापसी	5	1.04	2
7.	डीम्ड निर्यात आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के प्राप्तकर्ता को वापसी	2	0.99	1
8.	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष की वापसी	145	31.71	77
9.	कर के अधिक भुगतान की वापसी	11	1.67	10
10.	राज्य के भीतर आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर की वापसी जिसे बाद में अंतर-राज्य आपूर्ति माना जाता है और इसके उलट	1	0.58	1
11.	मूल्यांकन/अनंतिम मूल्यांकन/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण प्रतिदाय	18	1.43	6
12.	किसी अन्य आधार या कारण से प्रतिदाय	36	6.28	30
योग		1,442	1,525.97	

लेखापरीक्षा का परिणाम

1,430 प्रतिदाय दावों की विस्तृत जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने प्रतिदाय दावों की स्वीकृति में विलम्ब, प्रतिदाय के अधिक/अनियमित भुगतान और प्रतिदाय दावों को संसाधित करते समय अन्य विभिन्न क्रमियों को देखा जिनका विवरण निम्नवत हैं।

सारणी-2.7

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की प्रकृति	योग				लेखा परीक्षा नमूने से कमियों की प्रतिशतता (सं.के अनुसार)	
		लेखा परीक्षा नमूना		कमियाँ			
		सं.	धनराशि (₹ करोड़ में)	सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)		
1	पावती का समयान्तर्गत जारी न किया जाना	1,430	1,523.50	76	लागू नहीं	5.31	

2	प्रतिदाय आदेशों का समय पर स्वीकृत न किया जाना	1,430	1,523.50	122	0.14	8.53
3	अधिक / अनियमित प्रतिदाय / कर दिया जाना	1,430	1,523.50	31	5.51	2.17
4	प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण में विविध कमियाँ	1,430	1,523.50	15	लागू नहीं	1.05

लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2.7 पावती समयान्तर्गत निर्गत न किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7), सपष्टित उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 90 (1) और (2) यह प्रावधानित करता है कि जहां आवेदन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (इ0क्रै0ले0) से प्रतिदाय के दावे से संबंधित हैं, वहां आवेदक को सामान्य पोर्टल के माध्यम से एक पावती फॉर्म मा0से0क0 आरएफडी-02 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिदाय के लिए दावा करने की तारीख और समय अवधि यानी प्रतिदाय आवेदन के प्रसंस्करण के लिए निर्दिष्ट 60 दिन का उल्लेख होगा। इ0क्रै0ले0 के अलावा अन्य प्रतिदाय से संबंधित आवेदन को सम्पूर्ण रूप से जाँच करके उक्त आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों की अवधि के भीतर उचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक को सामान्य पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर फॉर्म मा0से0क0 आरएफडी-02 में एक पावती उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 152 वार्षिकों (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) के 739 पूर्व स्वचालन और 691 पश्च स्वचालन चयनित मामलों की नमूना जांच की और 36 वार्षिकों के 30 पूर्व स्वचालन और 46 पश्च स्वचालन के प्रतिदाय³⁹ मामलों में यह पाया गया कि ₹ 65.85 करोड़ के प्रतिदाय की प्रक्रिया में पावती निर्गत करने में एक प्रकरण में छ: माह, तीन प्रकरणों में तीन माह से छ: माह तथा 72 प्रकरणों में तीन माह से कम का विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। विवरण परिशिष्ट-XII में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और समय के भीतर पावती जारी न करने के विभिन्न कारण बताए जैसे कि सिस्टम की कमियाँ, कोविड महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन और नई मार्गों के प्रणाली से परिचित न होने के कारण पूर्व स्वचालन अवधि से संबंधित मामलों में डीलरों ने प्रतिदाय आवेदन हार्ड कॉपी में समर्थित दस्तावेजों के साथ समय पर जमा नहीं किया और जोर देकर कहा कि इसमें कोई राजस्व हानि नहीं हुई।

समय पर पावती जारी न होने के कारण के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर स्वतः स्पष्ट है।

³⁹ खण्ड-04 आगरा, खण्ड-10 आगरा, खण्ड-11 आगरा, खण्ड-12 आगरा, खण्ड-13 आगरा, खण्ड-16 आगरा, खण्ड-01 अलीगढ़, खण्ड-11 अलीगढ़, जेरी-सीसी-I गाजियाबाद, जेरी-सीसी-II गाजियाबाद, खण्ड-04 गाजियाबाद, खण्ड-06 गाजियाबाद, खण्ड-13 गाजियाबाद, खण्ड-15 गाजियाबाद, खण्ड-17 गाजियाबाद, खण्ड-02 जी0सी0 नगर, जेरी-सीसी-I कानपुर, खण्ड-01 कानपुर, खण्ड-05 कानपुर, खण्ड-06 कानपुर, खण्ड-11 कानपुर, खण्ड-13 कानपुर, खण्ड-21 कानपुर, खण्ड-22 कानपुर, खण्ड-24 कानपुर, खण्ड-26 कानपुर, खण्ड-27 कानपुर, खण्ड-28 कानपुर, खण्ड-04 लखनऊ, खण्ड-07 लखनऊ, खण्ड-01 मुरादाबाद, खण्ड-04 मुरादाबाद, खण्ड-05 मुरादाबाद, खण्ड-06 मुरादाबाद, खण्ड-09 मुरादाबाद, खण्ड-10 नोएडा।

2.2.8 प्रतिदाय आदेश समयान्तर्गत स्वीकृत न किया जाना

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) सपष्टित उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ0प्र0मा0से0क0) नियमावली, 2017 के नियम 92 के अनुसार प्रतिदाय आवेदन जमा करने पर अधिकारी परीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करेगा। वह जांच करेगा कि क्या प्रतिदाय दावा राशि देय है और आवेदक को देय है और फिर फॉर्म मा0से0क0 आरएफडी-06 में एक आदेश देगा, जिसमें आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आवेदक की प्रतिदाय की राशि की स्वीकृति दी जाएगी। सक्षम अधिकारी को शून्य दर आपूर्ति के मामले में अनंतिम आधार पर उसे वापस की गई राशि, यदि कोई हो, का भी उल्लेख करना चाहिए। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 56 के अनुसार, यदि आवेदक को देय कोई प्रतिदाय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो 6/9 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 152 वा0क0का0 (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) के 739 पूर्व स्वचालन और 691 पश्च स्वचालन चयनित मामलों की नमूना जाँच की और 25⁴⁰ वा0क0का0 के 110 पूर्व स्वचालन और 12 पश्च स्वचालन प्रतिदाय मामलों की स्वीकृति में यह पाया गया कि 19 प्रकरणों में छः माह, 35 प्रकरणों में तीन से छः माह तथा 68 प्रकरणों में तीन माह से कम का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, विभाग ने ₹ 8.77 करोड़ के प्रतिदाय को विलम्ब से स्वीकृत करने पर दावेदारों को उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) के अंतर्गत ₹ 13.99 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट-XIII में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। विभाग ने उत्तर में (जुलाई 2022), लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और समय पर प्रतिदाय आदेशों को स्वीकृत न करने के विभिन्न कारणों को बताया जैसे कि सिस्टम की कमियाँ, कोविड महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन और नई मा0से0क0 प्रणाली से परिचित न होने के कारण पूर्व स्वचालन अवधि से संबंधित मामलों में डीलरों ने प्रतिदाय आवेदन हार्ड कॉपी में समर्थित दस्तावेजों के साथ समय पर जमा नहीं किया और जोर देकर कहा कि इसमें कोई राजस्व हानि नहीं हुई।

समय पर प्रतिदाय आदेशों के जारी न होने के कारण के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर स्वतः स्पष्ट है।

2.2.9 अनंतिम प्रतिदाय समयान्तर्गत स्वीकृत न किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (6) उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 91 में प्रावधान है कि शून्य दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय इस शर्त के अधीन दिया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति पर संबंधित कर अवधि से ठीक पहले के पांच वर्षों के किसी अवधि में, अधिनियम के अंतर्गत या विद्यमान कानून के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया हो, जहां करापवंचन की राशि ₹ 2.5 करोड़ से अधिक है। सक्षम अधिकारी इसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और साक्ष्यों की जांच करेगा। प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर, वह पावती की तारीख से सात दिनों से अनधिक अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर उत्तर आवेदक को देय प्रतिदाय की राशि को स्वीकृत करते हुए फॉर्म मा0से0क0 आरएफडी-04 में एक अनंतिम प्रतिदाय आदेश देगा।

⁴⁰ जेसी-सीसी आगरा, खण्ड-9,10,15, आगरा, जेसी-सीसी, गोरखपुर, जेसी (सीसी-II) कानपुर, खण्ड-06,09,13,15,16,20,21,26 एवं 28 कानपुर, खण्ड-09 लखनऊ, खण्ड-01,05,06,07,09,10, मुरादाबाद, खण्ड-03 एवं 04 नोएडा, खण्ड-01 प्रयागराज।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वार्कोकारो के 1,430 नमूना मामलों में से 85 वार्कोकारो के शून्य दर आपूर्ति से संबंधित 856 मामलों की नमूना जाँच की और पाया कि सात⁴¹वार्कोकारो के 10 पूर्व स्वचालन और एक पश्च स्वचालन प्रतिदाय मामलों में अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में दो से लेकर 52 दिनों तक का विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं हुआ। विवरण परिशिष्ट-XIV में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने पाँच प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। शेष छः प्रकरणों में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया। लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार न करने के प्रकरणों में विभागीय उत्तरों का विश्लेषण सारणी-2.8 में सूचीबद्ध है।

सारणी-2.8

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खंडन
1	खण्ड-1 आगरा : अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 37 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने बताया कि 12.07.2019 को कमी का ज्ञापन जारी करने के बाद 09.08.2019 को एक नया आवेदन किया गया और 13.08.2019 को अंतिम प्रतिदाय समय से स्वीकृत हुआ।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 01.07.2019 को आवेदक को पावती जारी करने के बाद दिनांक 12.07.2019 को कमी का ज्ञापन का जारी करने का कोई औचित्य नहीं था।
2	अ. जेसी (सीसी-II) कानपुर: अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 13 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने बताया कि ₹ 15.66 लाख की राशि को अस्वीकृत करते हुए दिनांक 05.07.2019 को आरएफडी-04 जारी किया गया।	विभाग ने अपने उत्तर में आरएफडी-04 की स्वीकृति में विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया।
	ब. अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 33 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने बताया कि ₹ 11.99 लाख की राशि को अस्वीकृत करते हुए दिनांक 22.10.2019 को आरएफडी-04 जारी किया गया।	
	स. अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 17 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने बताया कि ₹ 1.86 लाख की राशि को अस्वीकृत करते हुए दिनांक 05.07.2019 को आरएफडी-04 जारी किया गया।	
3	अ. खण्ड-12 नोएडा : अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 17 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने कहा कि रिफण्ड आवेदन के साथ समर्थित दस्तावेज अधिक मात्रा में थे और पठनीय नहीं थे।	विभाग ने दस्तावेजों की अधिक मात्रा और दस्तावेजों की अपठनीयता के कारण विलम्ब को स्वीकार किया।
	ब. अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 48 दिन का विलम्ब हुआ।		

⁴¹ खण्ड-01,09,12,15, आगरा, जेसी (सीसी)-II कानपुर, खण्ड-06 मुरादाबाद एवं खण्ड-12 नोएडा।

2.2.10 अनंतिम प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति

उ0प्र0मा0से0क0 2017 की धारा 54 (6), के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए माल या सेवाओं या दोनों की शून्य दर आपूर्ति के कारण प्रतिदाय के लिए किसी भी दावे के मामले में, दावा किए गए प्रतिदाय की कुल राशि का 90 प्रतिशत अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है और उसके बाद सक्षम अधिकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद प्रतिदाय के दावे के अंतिम भुगतान के लिए उप धारा (5) के अंतर्गत एक आदेश जारी करेगा। इस प्रकार, वस्तुओं और/या सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति दी जाती है न कि अन्य श्रेणियों में।

लेखापरीक्षा ने 152 वार्षिकों के 1,430 नमूना मामलों (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) में से 134 वार्षिकों में वस्तुओं और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य से संबंधित 586 मामले की नमूना जाँच की और दो⁴² वार्षिकों के तीन प्रतिदाय मामलों में पाया गया कि पंजीकृत व्यक्तियों ने प्रतिदाय श्रेणियों में ₹ 1.05 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया था यथा कर का अधिक भुगतान, प्रतिलोमित कर संरचना और किसी अन्य श्रेणियों। विभाग ने पंजीकृत व्यक्तियों को ₹ 94.59 लाख का अनंतिम प्रतिदाय स्वीकृत किया, जबकि अनंतिम प्रतिदाय केवल माल और/अथवा सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण ही स्वीकृत किया जाता है। विभाग ने प्रतिदाय को अंतिम रूप देते समय माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के विवरण की उचित जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 94.59 लाख का अनियमित प्रतिदाय हुआ। विवरण परिशिष्ट—XV में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। एक मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण सारणी—2.9 में सूचीबद्ध है।

सारणी—2.9

क्र. स.	लेखापरीक्षा इकाई/प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खंडन
1	खंड—5, वार्षिकों कानपुर: अनन्तिम प्रतिदाय कर के अधिक भुगतान श्रेणी में किया गया जबकि धारा 54(6) के अंतर्गत अनन्तिम प्रतिदाय केवल शून्य दर श्रेणी में ही अनुमन्य है।	विभाग ने कहा कि उ0प्र0मा0से0क0 2017 की धारा 54(6) के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों के शून्य दर आपूर्ति के साथ अन्य श्रेणियों में भी अनन्तिम प्रतिदाय को देने पर प्रतिबंध नहीं है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उ0प्र0मा0 से0क0 2017 की धारा 54(6) के अनुसार केवल शून्य दर आपूर्ति के मामलों में ही अनन्तिम प्रतिदाय अनुमन्य है।

2.2.11 सेवा और पूंजीगत वस्तुओं पर अर्जित आईटीसी को प्रतिदाय में शामिल कर लिया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किसी भी कर अवधि के अंत में किया जा सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में वस्तुओं या सेवाओं

⁴² खण्ड—03 नोएडा एवं खण्ड—05 कानपुर।

की शून्य दर आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय देने का सूत्र⁴³ निर्धारित किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के मामले में, "शुद्ध आईटीसी" का अर्थ संगत अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी है और प्रतिलोमित कर संरचना के मामले में, आईटीसी केवल इनपुट पर अर्जित होता है। के0मा0 से0क0/रा0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 में प्रावधान है कि त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय की राशि करदाता से धारा 50 के अंतर्गत लागू ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) में से 136 वा0क0का0 के वस्तुओं और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति एवं प्रतिलोमित कर संरचना से सम्बन्धित 1,231 नमूना मामलों की जाँच की और सात⁴⁴ वा0क0का0 के तीन पूर्व स्वचालन और छः पश्च स्वचालन मामलों में यह पाया कि पंजीकृत व्यक्ति ने ₹ 4.17 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। पंजीकृत व्यक्तियों ने प्रतिदाय दावों की गणना करते समय शुद्ध आईटीसी में सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त ₹ 18.48 लाख के आईटीसी को शामिल किया था। विभाग की ओर से विवरणियों की जांच करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 17.28 लाख के अधिक प्रतिदाय की स्वीकृति हुई जो ₹ 4.07 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय थी। विवरण परिशिष्ट—XVI में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग (अप्रैल 2022) को प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने ₹ 4.07 लाख के ब्याज के साथ ₹ 17.29 लाख की राशि के नौ मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिसमें से तीन मामलों में ₹ 0.33 लाख के ब्याज के साथ ₹ 2.31 लाख की वसूली और ₹ 0.20 लाख शास्ति विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया। छः मामलों में विभाग ने बताया कि वसूली की कार्यवाही चल रही है।

2.2.12 प्रतिलोमित कर संरचना में अधिक प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी का दावा कर सकता है, जहां कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर के कारण उत्पादन आपूर्ति पर क्रेडिट जमा हुआ है (अर्थात्, प्रतिलोमित कर संरचना)। इसके अतिरिक्त, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89(5) में प्रतिलोमित कर संरचना के कारण अप्रयुक्त आईटीसी के अधिकतम प्रतिदाय का सूत्र⁴⁵ निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, प्रतिदाय की गणना के उद्देश्य से शुद्ध आईटीसी में सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट की खरीद पर प्राप्त आईटीसी शामिल है, लेकिन इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर लिया गया क्रेडिट शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच की (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) और 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से 80 वा0क0का0 के प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित 375 मामलों पर यह देखा गया कि जेसी—सीसी रेंज—बी, सीटी नोएडा, के एक पूर्व स्वचालन मामले में, पंजीकृत व्यक्ति ने माल और सेवाओं की श्रेणी की प्रतिलोमित दर

⁴³ शून्य—दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय राशि = (शून्य—दर वस्तुओं की आपूर्ति का टर्नओवर + शून्य—दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) × शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल टर्नओवर और वस्तु एवं प्रतिलोमित दर सेवाओं की आपूर्ति मामले की प्रतिदाय राशि = (प्रतिलोमित दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + प्रतिलोमित दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) × शुद्ध आईटीसी / समायोजित किया गया सकल टर्नओवर — इस तरह की प्रतिलोमित दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर।

⁴⁴ खण्ड—06 एवं 08 गाजियाबाद, खण्ड—03 जी0बी0 नगर, जे0सी0—सी0सी0—ख0, जी0बी0 नगर खण्ड—09,10 एवं खण्ड—14 नोएडा।

⁴⁵ प्रतिदाय राशि = (प्रतिलोमित दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + प्रतिलोमित दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) × शुद्ध आईटीसी / समायोजित किया गया सकल टर्नओवर — इस तरह की प्रतिलोमित दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर।

आपूर्ति के कारण ₹ 1.23 करोड़ की वापसी का दावा किया था जिसे क0नि0प्रा0 द्वारा स्वीकृत किया गया था। पंजीकृत व्यक्ति ने संबंधित अवधि के दौरान सकल आईटीसी से ₹ 1.88 करोड़ की सेवाओं से संबंधित ₹ 12.16 लाख के आईटीसी की कटौती के बाद ₹ 1.76 करोड़ के शुद्ध आईटीसी का दावा किया था। लेखापरीक्षा गणना के अनुसार सेवाओं से संबंधित आईटीसी ₹ 17.96 लाख थी। इस प्रकार, सेवाओं से संबंधित ₹ 5.80 लाख की आईटीसी अतिरिक्त रूप से सकल आईटीसी से कटौती योग्य थी। विभाग ने प्रतिदाय को अन्तिम रूप देते समय इस तथ्य की उचित जांच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.26 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 1.08 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था। विवरण परिशिष्ट—XVII में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा ₹ 2.07 लाख के ब्याज सहित ₹ 5.67 लाख के कर की वसूली प्रतिवेदित की गई।

2.2.13 दो वर्षों की सुसंगत अवधि के बाद कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय स्वीकृत किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (1) और (3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी कर के प्रतिदाय और ब्याज का दावा करता है, यदि कोई हो, तो ऐसे कर पर किये गये भुगतान अथवा उसके द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि हो तो, वह उपयुक्त तिथि⁴⁶ से दो वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारित रीति और रूप में आवेदन कर सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 61 के अनुसार प्रत्येक माह या उसके किसी भाग के लिए विवरणी ऐसे माह के अगले माह के बीसवें दिन या उससे पहले जमा किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के बीच) 152 वारोकरों के 1,430 नमूना मामलों में से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष की वापसी को छोड़कर 135 वारोकरों के 1,297 मामले की नमूना जाँच की और यह पाया कि डिक्रमिंखण्ड-4, वारोकरो, आगरा के प्रतिलोमित कर सरचना के एक पश्च स्वचालन प्रतिदाय मामले में, पंजीकृत व्यक्ति ने जुलाई 2017 से सितंबर 2017 की अवधि से संबंधित 22 जनवरी 2020 को ₹ 11.11 लाख की वापसी का दावा किया था। नियमों के अनुसार, सितंबर 2017 के महीने के लिए विवरणी दाखिल करने की तारीख 20 अक्टूबर 2017 थी। उपर्युक्त अवधि के प्रतिदाय के दावे की अधिकतम समय सीमा 20 सितंबर 2019 तक थी, जबकि प्रतिदाय का दावा 22 जनवरी 2020 को किया गया था, जो दो साल की अधिकतम अवधि से अधिक था। विभाग ने प्रतिदाय को अन्तिम रूप देते समय उपयुक्त तिथि के पक्ष पर विचार नहीं किया तथा अनियमित रूप से प्रतिदाय स्वीकृत किया। विवरण परिशिष्ट—XVIII में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा ₹ 1.11 लाख का अर्थदण्ड एवं लागू ब्याज सहित ₹ 11.11 लाख का कर आरोपित किया।

2.2.14 अभिलेखीय साक्ष्यों पर विचार नहीं किये जाने के कारण प्रतिदाय की अधिक / अनियमित स्वीकृति

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (4) के अनुसार प्रतिदाय के लिए आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ यह स्थापित करना होगा कि आवेदक को

⁴⁶ उपयुक्त तिथि का तात्पर्य अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय के मामले में, धारा 39 के अधीन प्रतिफल प्रस्तुत करने की नियत तिथि जिसमें प्रतिदाय के लिए ऐसा दावा किया जाता है।

प्रतिदाय देय है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89 (2) (ज) में परिकल्पना की गई है कि प्रतिलोमित कर संरचना के कारण प्रतिदाय के प्रकरण में आवेदन के साथ (i) कर अवधि के दौरान प्राप्त बीजकों की संख्या और तिथि का विवरण (ii) कर अवधि के दौरान जारी किए गए बीजकों की संख्या और तिथि का विवरण होगा। अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली 2017 का नियम 89 (5) प्रतिलोमित शुल्क संरचना के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम वापसी के लिए सूत्र निर्धारित करता है। नियम के अनुसार, शुद्ध आईटीसी में केवल उपयुक्त अवधि के दौरान इनपुट पर प्राप्त आईटीसी शामिल है और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा ने 152 वार्कोका० (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) के 739 पूर्व स्वचालन और 691 पश्च स्वचालन मामलों की नमूना जांच की और यह पाया गया कि तीन⁴⁷ वार्कोका० के दो पूर्व स्वचालन और एक पश्च स्वचालन मामलों में पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 83.83 लाख के प्रतिदाय का दावा किया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था। विभाग ने दस्तावेजी साक्ष्यों (विवरण-1ए और अनुलग्नक 'बी') में दर्शाए गए ₹ 2.60 करोड़ के शुद्ध आईटीसी के स्थान पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावा किए गए ₹ 3.91 करोड़ के शुद्ध आईटीसी पर विचार किया। विभाग ने प्रकरणों को अन्तिम रूप देते समय तथ्यों की जांच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72.80 लाख का अधिक/अनियमित प्रतिदाय हुआ। विवरण परिशिष्ट-XIX में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा ब्याज सहित कर की वसूली की। ₹ 36.37 लाख के एक अन्य मामले में कार्यवाही चल रही है। विभाग ने एक मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण सारणी 2.10 में सूचीबद्ध है।

सारणी-2.10

क्र.स	लेखापरीक्षा इकाई/प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खंडन
1.	जेसी (सीसी-I) गाजियाबाद: कर निर्धारण प्राधिकारी ने विवरण 1ए में दर्शाये गए शुद्ध आई. टी. सी. ₹ 124.12 लाख के स्थान पर ₹ 190.36 लाख शुद्ध आई. टी.सी. को स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय की गणना में ₹ 35.68 लाख का अनियमित प्रतिदाय हुआ।	विवरण 1ए कर्य पर आई. टी.सी. प्रदर्शित करता है। जून 2019 की समाप्ति पर ई. सी. एल. (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर) का शेष ₹ 192.44 लाख था।	विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रतिदाय आवेदन के साथ जमा किए विवरण 1ए में शुद्ध आई. टी.सी ₹ 124.12 लाख थी जो प्रतिदाय की गणना के लिए अनुमन्य थी।

2.2.15 ए०मा०से०क० भुगतान का अधिक प्रतिदाय स्वीकृत किया जाना

ए०मा०से०क० अधिनियम, 2017 की धारा 16(3) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति के०मा०से०क० अधिनियम की धारा 54 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एकीकृत कर के भुगतान एवं माल एवं सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर भुगतान किए गए ऐसे कर के प्रतिदाय का दावा कुछ शर्तों सुरक्षा उपायों और प्रक्रिया के अधीन जैसा कि निर्धारित किया गया हो, कर सकता है।

⁴⁷ खण्ड-05, जेसी-सीसी-I, गाजियाबाद एवं खण्ड-06 गाजियाबाद।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वार्कोकारो के 1,430 नमूना मामलों में से माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति (कर के भुगतान के साथ) से संबंधित 8 वार्कोकारो के 9 मामलों की जाँच की और यह देखा कि जेसी (सीसी-1), वार्को लखनऊ के एक प्रतिदाय के मामले में (कर के भुगतान के साथ) पंजीकृत व्यक्ति ने माह सितंबर 2018 के लिए माल के निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के ₹ 1.35 करोड़ के लिए प्रतिदाय का दावा किया था। सितंबर 2018 के विवरणी 3बी के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति ने ₹ 1.62 करोड़ के शून्य दर माल का निर्यात किया था और ₹ 67.33 लाख के आईजीएसटी का भुगतान किया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति शून्य दर माल के निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी की सीमा तक मात्र ₹ 67.33 लाख के प्रतिदाय के लिए पात्र था। विभाग, विवरणियों की उचित जाँच करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.22 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 35.40 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय था। विवरण परिशिष्ट—XX में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने कहा कि प्रतिदाय 2018–19 और नवंबर एवं दिसंबर 2017 की अवधि से संबंधित था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दावा की गई अवधि (सितंबर 2018) प्रतिदाय आवेदन आरएफडी-01 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित थी जो कि प्रतिदाय के लिए स्वीकार्य थी। नवंबर और दिसंबर 2017 की अवधि, जिसका उल्लेख प्रतिदाय आवेदन में नहीं किया गया था, स्वीकार्य नहीं थी।

2.2.16 शुद्ध आईटीसी० की दावाकृत धनराशि पर विचार न किये जाने के कारण अधिक प्रतिदाय की अनुमन्यता

उ०प्र०मा०से०क० अधिनियम, 2017 की धारा 54 (4) के अनुसार प्रतिदाय के लिए आवेदन निर्धारित किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ होना चाहिए। उ०प्र०मा०से०क० नियमावली, 2017 के नियम 89 (2) (ब) में परिकल्पना की गई है कि माल के निर्यात के लिए प्रतिदाय आवेदन के साथ (i) शिपिंग बिल/निर्यात के बिल की संख्या और तिथि का विवरण (ii) प्रासंगिक निर्यात बीजकों की संख्या एवं तिथि का विवरण होगा। इसके अलावा, उ०प्र०मा०से०क० नियमावली, 2017 का नियम 89 (4) बांड/एलयूटी के अंतर्गत निर्यात के मामले में आईटीसी की वापसी की गणना के लिए सूत्र⁴⁸ निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वार्कोकारो के 1,430 नमूना मामलों में से 136 वार्कोकारो के शून्य दर माल और सेवाओं की आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित 1,231 मामलों की नमूना जाँच की और देखा कि डिओकमि० खण्ड-14 नोएडा के एक पूर्व स्वचालन मामले में, पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 51.51 लाख के प्रतिदाय का दावा किया जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। पंजीकृत व्यक्तियों ने फरवरी 2019 के लिए आईटीसी के समर्थन में प्रस्तुत विवरण के अनुसार ₹ 36.21 लाख के स्थान पर आरएफडी-01ए⁴⁹ में शुद्ध आईटीसी ₹ 51.51 लाख दर्शाया। जबकि वस्तुओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम प्रतिदाय के लिए निर्धारित सूत्र के अनुसार और सेवाओं के लिए स्वीकार्य प्रतिदाय की अधिकतम राशि ₹ 36.21 लाख थी। विभाग ने आईटीसी के समर्थन में प्रस्तुत विवरण की उचित जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.29 लाख का

⁴⁸ प्रतिदाय राशि = (शून्य-दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + शून्य-दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) × शुद्ध आईटीसी / समायोजित किया गया सकल टर्नओवर।

⁴⁹ प्रतिदाय आवेदन

अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 6.54 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय था। विवरण परिशिष्ट-XXI में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022), विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया और कहा कि धारा 54 (3) के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किसी भी कर अवधि के अंत में कर सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजीकृत व्यक्ति को संबंधित अवधि की वापसी के लिए अनुमति दी गई थी जैसा कि प्रतिदाय आवेदन आरएफडी-01 (फरवरी 2019) में दावा किया गया था। नवंबर 2018 के लिए प्रतिदाय स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह उपयुक्त अवधि से संबंधित नहीं था।

2.2.17 शिपिंग बिल में निर्यात मूल्य पर विचार न किये जाने के कारण अधिक प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (4) में कहा गया है कि प्रतिदाय के लिए आवेदन दस्तावेजी साक्षयों के साथ होना चाहिए जो निर्धारित किया गया हो। उ0प्र0मा0से0क0 नियम, 2017 के नियम 89 (2) (ब) में परिकल्पना की गई है कि माल के निर्यात के कारण प्रतिदाय के लिए शिपिंग बिल/निर्यात बिलों की संख्या और तिथि और सुसंगत निर्यात चालान की संख्या और तारीख वाले एक विवरण की आवश्यकता होती है। नियम 89 के उप-नियम 4 में बांड या एलयूटी के अंतर्गत कर के भुगतान के बिना माल की शून्य दर आपूर्ति के मामलों में प्रतिदाय की स्वीकृति के लिए सूत्र⁵⁰ प्रदान किया गया है। के0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 के प्रावधान के अनुसार गलत प्रतिदाय की राशि करदाता से धारा 50 के अंतर्गत लागू ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वार्षिकों के 1,430 नमूना मामलों में से शून्य दर आपूर्ति से संबंधित 87 वार्षिकों के 828 मामले की नमूना जांच की और देखा कि डिक्रीमो खण्ड-14 वार्षिकों नोएडा के एक पश्च स्वचालन प्रतिदाय मामले में, पंजीकृत व्यक्ति ने ₹ 45.88 लाख के प्रतिदाय का दावा किया और ₹ 6.10 करोड़ के शिपिंग बिल राशि पर निर्यात टर्नओवर के स्थान पर आरएफडी-01 में ₹ 7.22 करोड़ का निर्यात बताया था, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा ₹ 45.60 लाख का प्रतिदाय स्वीकृत किया। जबकि, शिपिंग बिल की वास्तविक निर्यात राशि पर विचार करते हुए, स्वीकार्य प्रतिदाय की राशि ₹ 43.42 लाख थी। विभाग ने प्रतिदाय के दावे को अंतिम रूप देते समय निर्यात के लिए शिपिंग बिल राशि पर विचार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.18 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 65,879 के ब्याज के साथ वसूलनीय था। विवरण परिशिष्ट-XXII में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने कहा कि 1.20 करोड़ रुपये के कुछ निर्यात बिल अपलोड करने रह गए थे जिन्हें बाद में जीएसटीआर-1 में अपलोड किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजीकृत व्यक्तियों को प्रतिदाय आवेदन के समय समर्थित शिपिंग बिलों का विवरण प्रस्तुत करना था।

⁵⁰ प्रतिदाय राशि = (शून्य-दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + शून्य-दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) × शुद्ध आईटीसी / समायोजित किया गया सकल टर्नओवर।

2.2.18 सकल टर्नओवर को गलत समायोजित करने पर प्रतिदाय का अधिक अनुमन्य किया जाना

धारा 54 (3), उप-धारा (10) के प्रावधानों के अधीन, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा कर सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89 (4) (ड) के अनुसार, "समायोजित सकल टर्नओवर" का तात्पर्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में टर्नओवर से है, जैसा कि धारा 2 के खंड (112) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, सुसंगत अवधि⁵¹ के दौरान शून्य दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य करमुक्त आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 में प्रावधान है कि गलत प्रतिदाय की राशि धारा 50 के अंतर्गत लागू ब्याज के साथ पंजीकृत व्यक्ति से वसूल की जानी है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वार्क0का10 के 1,430 नमूना मामलों में से 123 वार्क0का10 के 1,215 माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना श्रेणी से संबंधित मामले की नमूना जाँच की और देखा कि एक पूर्व स्वचालन प्रतिदाय मामले में डिकमिं खण्ड-13, वार्क0 नोएडा के पंजीकृत व्यक्ति ने अगस्त और सितंबर 2017 के महीने के लिए ₹ 25.31 लाख के प्रतिदाय का दावा किया जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था। कर योग्य व्यक्ति ने दावा की जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय राशि की गणना करते समय आरएफडी-01 में समायोजित सकल टर्नओवर ₹ 2.49 करोड़, माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति का टर्नओवर ₹ 2.49 करोड़ और आरएफडी-01⁵² में शुद्ध आईटीसी ₹ 25.31 लाख दर्शाया गया था। जबकि सितंबर 2017 के जी0एस0टी0आर-1 में कर योग्य आपूर्ति ₹ 30.84 लाख और निर्यात आपूर्ति ₹ 2.49 करोड़ थी। अगस्त 2017 के महीने में कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। इस प्रकार, ₹ 2.80 करोड़ के संशोधित समायोजित सकल टर्नओवर को सूत्र⁵³ में लागू करते हुए, स्वीकार्य कुल प्रतिदाय राशि ₹ 22.52 लाख ही है। विभाग ने प्रतिदाय दावे को अंतिम रूप देते समय सूत्र में सकल टर्नओवर की जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.79 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 1.39 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था। विवरण परिशिष्ट- XXIII में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी।

2.2.19 अनुपयुक्त अवधि के शिपिंग बिल को सम्मिलित करते हुए अधिक प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54(4) यह निर्धारित करती है कि प्रतिदाय के लिए आवेदन निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ होना चाहिए। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89(2) (ब) के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के

⁵¹ "उपयुक्त अवधि" जिसका तात्पर्य है कि जिस अवधि के लिए दावा दाखिल किया गया है। धारा 2 खंड (112) "राज्य में टर्नओवर या संघ राज्यक्षेत्र में टर्नओवर" से सभी कर योग्य आपूर्तियों का कुल मूल्य अभिप्रेत है (आवक आपूर्ति को छोड़कर, जिस पर कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर संदेय है) एवं माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अन्दर की जाने वाली आपूर्तियों को कर योग्य व्यक्ति द्वारा छूट, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से बनाए गए माल या सेवाओं या दोनों के अंतरराज्यीय आपूर्ति किन्तु केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर एकीकृत कर और उपकर से बाहर हैं।

⁵² प्रतिदाय हेतु आवेदन

⁵³ प्रतिदाय राशि = (शून्य-दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + शून्य-दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) × शुद्ध आईटीसी/समायोजित किया गया सकल टर्नओवर।

आधार पर प्रतिदाय आवेदन के साथ एक विवरण जिसमें संख्या और शिपिंग बिल का दिनांक/निर्यात संगत चालान की संख्या एवं दिनांक होगा। अग्रेतर उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली 2017 के नियम 89 (4) (स) के अनुसार, माल के शून्य दर आपूर्ति के टर्नओवर को सुसंगत अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के विरुद्ध माना जाएगा, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के बीच) 152 वार्कोका० के 1,430 नमूना मामलों में से 82 वार्कोका० के माल एवं सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति से संबंधित 823 मामले नमूना जांच की और देखा कि चार⁵⁴ वार्कोका० के माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण तीन पूर्व स्वचालन और दो पश्च स्वचालन के मामलों में पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 4.82 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 87.07 करोड़ के माल की शून्य दर आपूर्ति और सकल समायोजित टर्नओवर ₹ 133.78 करोड़ दर्शाया था। माल के शून्य दर आपूर्ति के टर्नओवर की गणना करते समय कर योग्य व्यक्तियों ने ₹ 21.71 करोड़ का निर्यात टर्नओवर शामिल किया था जो कि शिपिंग बिलों में वर्णित उपयुक्त अवधि से संबंधित नहीं था। शिपिंग बिल के अनुसार संबंधित अवधि के दौरान किए गए निर्यात का टर्नओवर मात्र ₹ 65.36 करोड़ है और लेखापरीक्षा के अनुसार ₹ 4.09 करोड़ के प्रतिदाय की गणना होती है। विभाग ने माल की शून्य दर आपूर्ति की सही राशि पर विचार किए बिना प्रतिदाय की स्वीकृति दे दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72.12⁵⁵ लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो कि लेखापरीक्षा की तिथि तक ₹ 29.08 लाख के ब्याज के साथ वसूलनीय था। विवरण परिशिष्ट-XXIV में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने ₹ 18.61 लाख के ब्याज के साथ ₹ 37.53 लाख की राशि के चार प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी। एक प्रकरण में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण सारणी 2.11 में सूचीबद्ध है।

सारणी-2.11

क्र. स.	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	जेसी सीसी जीबी नगर: क0नि0प्रा० ने माल की शून्य दर आपूर्ति की धनराशि पर विचार किए बिना प्रतिदाय अनुमन्य किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.58 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ब्याज सहित वसूलनीय था।	₹ 6.43 करोड़ के शिपिंग बिल अक्टूबर 2019 का जी0एस0 टी० आर०-१ दाखिल करने के पूर्व प्राप्त किये गए इसलिए इसे अक्टूबर 2019 के जी0एस0 टी०आर०-१ और ३बी में घोषित नहीं किया गया और इसे माह अक्टूबर 2019 के प्रतिदाय की गणना में लिया गया।	विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिदाय उपयुक्त अवधि (नवम्बर 2019) के लिए ही अनुमन्य किया जाना था। अक्टूबर 2019 के लिए दावा किया गया प्रतिदाय उपयुक्त अवधि से सम्बन्धित न होने के कारण स्वीकार्य नहीं था।

⁵⁴ जेसी सीसी रेन्ज ए-नोएडा, खण्ड-01 नोयडा, खण्ड-08 नोएडा एवं खण्ड-09 नोएडा।

⁵⁵ (₹ 4.82 करोड़ - ₹ 4.09 करोड़)।

2.2.20 अवरुद्ध क्रेडिट पर अधिक प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 2017 की धारा 17 (5) यह निर्धारित करती है कि जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से किसी व्यवसाय के उद्देश्य के लिए और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, वहाँ क्रेडिट की राशि उस हिस्से तक सीमित होगी जो इनपुट टैक्स के रूप में उसके व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार है। धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 18 की उप-धारा (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, अवरुद्ध क्रेडिट⁵⁶ के संबंध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वार्षिकों के 1,430 नमूना मामलों में से 136 वार्षिकों के माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित 1,231 मामलों की नमूना जांच की और यह देखा कि दो⁵⁷ वार्षिकों के एक पूर्व स्वचालन और एक पश्च स्वचालन प्रतिदाय प्रकरणों में पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 47.78 लाख के प्रतिदाय का दावा किया था जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा ₹ 47.49 लाख स्वीकृत किये गये। पंजीकृत व्यक्तियों ने संबंधित अवधि के दौरान ₹ 60.13 लाख का आईटीसी अर्जित किया था, जिसमें ₹ 2.24 लाख मोटर वाहनों की सेवाओं से संबंधित था जिसके लिए प्रतिदाय की अनुमति नहीं थी। अतः पंजीकृत व्यक्ति को ₹ 57.89 लाख का शुद्ध आईटीसी अनुमन्य थी। सूत्र⁵⁸ में सही शुद्ध आईटीसी लागू करने पर प्रतिदाय की अधिकतम राशि ₹ 45.68 लाख आती है। प्रतिदाय की प्रक्रिया करते समय कर्ता प्राप्त द्वारा इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 68,321 के ब्याज सहित वसूली योग्य है। विवरण परिशिष्ट-XXV में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने दोनों मामलों में ₹ 1.81 लाख की राशि के ₹ 68,321 के ब्याज सहित लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 68,321 के ब्याज सहित ₹ 1.81 लाख की वसूली प्रतिवेदित की।

2.2.21 सेवाओं पर गलत दावे के कारण प्रतिदाय अधिक अनुमन्य किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 2017 के नियम 89(4) के अनुसार सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति इस प्रकार वर्णित है ‘‘सेवाओं के शून्य दर आपूर्ति, सेवाओं के शून्य दर आपूर्ति के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त भुगतानों का सकल योग है और सेवाओं के शून्य दर आपूर्ति जहाँ आपूर्ति पूर्ण हो गयी जिसके लिए सुसंगत अवधि से पूर्व के किसी अवधि में अग्रिम के तौर पर भुगतान प्राप्त हुआ था जिसे सेवाओं के शून्य दर आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा घटाया गया है जिसके लिए सुसंगत अवधि के दौरान सेवाओं की आपूर्ति पूर्ण नहीं हुई थी।’’

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वार्षिकों के 1,430 नमूना मामलों में से 123 वार्षिकों के माल एवं सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित 1,219 मामले की जांच की और देखा कि दो⁵⁹ वार्षिकों के दो प्रतिदाय के मामलों में सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण पंजीकृत व्यक्तियों

⁵⁶ मोटर वाहनों, भोजन एवं पेय पदार्थों की सेवा।

⁵⁷ खण्ड-02 नोएडा एवं खण्ड-13 नोएडा।

⁵⁸ प्रतिलोमित दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर \times शुद्ध आईटीसी/समायोजित किया गया सकल टर्नओवर-आईएनवीआईटीसी के मामले में प्रतिलोमित दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर तथा वस्तुओं/सेवाओं के नियत के मामले में शून्य दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर \times सकल इनपुट कर क्रेडिट/समायोजित सकल टर्नओवर।

⁵⁹ खण्ड-08 नोएडा एवं खण्ड-09 नोएडा।

ने विभाग द्वारा स्वीकृत ₹ 2.93 करोड़ के अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया। पंजीकृत व्यक्तियों ने सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति का आवर्त ₹ 15.06 करोड़ के स्थान पर ₹ 21.79 करोड़ दर्शाया। विभाग ने निर्धारित सूत्र⁶⁰ के अनुसार ₹ 21.79 करोड़ की सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ₹ 2.34 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.93 करोड़ की त्रुटिपूर्ण गणना की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.57 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ, यह ₹ 26.56 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय है। विवरण परिशिष्ट-XXVI में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने दोनों लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी।

2.2.22 उसी बीजक पर दो बार आई.टी.सी. अनुमन्य किये जाने के कारण अनियमित प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी कर के प्रतिदाय और ब्याज का दावा करता है, यदि कोई हो, तो ऐसे कर पर किये गये भुगतान अथवा उसके द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि हो तो, वह सुसंगत तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारित रीति और रूप में आवेदन कर सकता है। अग्रेतर धारा 54 (3) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति कर के भुगतान के बिना शून्य दर आपूर्ति के लिए किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वार्कोका० के 1,430 नमूना मामलों में से 136 वार्कोका० के 1,231 मामले माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित की जाँच की और यह देखा गया कि डिक्रीमित खण्ड-1 जी०बी० नगर में माल की शून्य दर आपूर्ति के एक पूर्व-स्वचालन प्रकरण में, एक पंजीकृत व्यक्ति ने माह जून 2018 के लिए एसईजेड इकाई/एसईजेड डेवलपर (कर के भुगतान के बिना) को की गई आपूर्ति के कारण ₹ 2.56 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था।

आईटीसी दावे के समर्थन में संलग्न अनुलग्नक का सत्यापन करते समय, यह पाया गया कि पंजीकृत व्यक्ति ने यह कहते हुए ₹ 12.62 लाख के आईटीसी का दावा किया था कि "मा०से०क० को अब चालानों में शामिल नहीं किया गया है" (चालानों का विवरण उल्लेखित नहीं किया गया था) जबकि पंजीकृत व्यक्ति ने उसी अनुलग्नक में पिछले महीनों से संबंधित बीजकों को पहले से ही शामिल किया हुआ था। इसके परिणामस्वरूप समान बीजकों पर ₹ 12.62 लाख के आईटीसी का अधिक दावा हुआ। अग्रेतर, लिपिकीय त्रुटि के कारण जून 2018 में ₹ 11.52 लाख की आवक आपूर्ति पर ₹ 9.45 लाख के अतिरिक्त आईटीसी का दावा किया गया था। इस प्रकार, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ₹ 22.07 लाख के कुल अतिरिक्त आईटीसी का अनियमित रूप से दावा किया गया था। कुल अर्जित आईटीसी ₹ 3.51 करोड़ में से ₹ 22.07 लाख के इस अस्वीकार्य आईटीसी की कटौती के बाद, जून 2018 के महीने के लिए कुल स्वीकार्य आईटीसी ₹ 3.29 करोड़ है। जून 2018 के महीने के लिए जावक आपूर्ति पर देय ₹ 92.18 लाख के कर का समायोजन स्वीकार्य आई०टी०सी० से करने पर, प्रतिदाय के लिए अधिकतम अप्रयुक्त आईटीसी ₹ 2.37 करोड़ आता है। यद्यपि, विभाग ने पंजीकृत

⁶⁰ शून्य दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर × सकल इनपुट कर क्रेडिट / समायोजित सकल टर्नओवर।

व्यक्ति को ₹ 2.56 करोड़ वापस कर दिए। इसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त आईटीसी ₹ 19.13 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 5.84 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय था। विवरण परिशिष्ट-XXVII में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही चल रही थी।

2.2.23 जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर कमी परिलक्षित होना

सरकार द्वारा मा0से0क0 से संबंधित सभी कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए 22 जून 2017 को कॉमन मा0से0क0 पोर्टल अधिसूचित किया गया। पोर्टल ने करदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए सुविधा प्रदान की। इस पोर्टल के मुख्य रूप से दो सिरे हैं, फ्रंट और बैक एंड। इस पोर्टल का फ्रंट एंड करदाताओं के लिए और बैक एंड कर प्राधिकारियों के लिए है।

प्रतिदाय पर लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि एक प्रकरण⁶¹ में सर्वर एआरएन सर्च से संबंधित सही सूचना प्रदान नहीं कर रहा था क्योंकि पोर्टल एक ही एआरएन पर दो अलग—अलग पंजीकृत व्यक्तियों से संबंधित सूचना प्रदान कर रहा था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एक अन्य प्रकरण⁶² में 17 फरवरी 2020 को आरएफडी-06 में प्रतिदाय स्वीकृत किया गया जबकि 29 फरवरी 2020 को आरएफडी-02 में पावती निर्गत की गयी। मा0से0क0 प्रतिदाय के दोहरे भुगतान के एक प्रकरण⁶³ में भी देखा गया कि मा0से0क0 प्रतिदाय दो बार किया गया था, यद्यपि इसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए जमा किया गया। एक पश्च स्वचालन प्रकरण⁶⁴ में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संगत अवधि के दो साल बाद प्रतिदाय के लिए आवेदन किया गया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप के0मा0से0क0 / रा0मा0से0क0 अधिनियम 2017 की धारा 54 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इससे पता चलता है कि पोर्टल में उपयुक्त तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के संबंध में कोई जाँच नहीं है। यह जीएसटीएन पोर्टल में तकनीकी कमियों की ओर इशारा करता है। विवरण परिशिष्ट-XXVIII में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने ₹ 81,630.00 की राशि के एक मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही चल रही थी। विभाग ने एक प्रकरण में उत्तर नहीं दिया तथा अन्य दो प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया, इन प्रकरणों में विभाग के उत्तरों का विश्लेषण सारणी-2.12 में सूचीबद्ध है।

⁶¹ खण्ड-19 लखनऊ।

⁶² खण्ड-7 आगरा।

⁶³ खण्ड-13 नोएडा।

⁶⁴ खण्ड-4 आगरा।

सारणी—2.12

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खंडन
1	सेक्टर—19 लखनऊ: एक एआरएन पर सर्वर दो अलग अलग सूचनाएँ दे रहा था।	सर्वर एक एआरएन के लिए एक प्रकरण प्रदर्शित करता है।	विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पोर्टल एक ही एआरएन पर दो अलग अलग पंजीकृत व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचनाएँ प्रदर्शित कर रहा था।
2	सेक्टर—7, आगरा: 17.02.2020 को आरएफडी—06 स्वीकृत करने के बाद 29.02.2020 को आरएफडी—02 जारी किया गया।	पोर्टल पावती की तिथि 29.02.2020 एवं आरएफडी—06 की तिथि 17.03.2020 प्रदर्शित कर रहा है।	विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 17.02.2020 को आरएफडी—06 स्वीकृत करने के बाद 29.02.2020 को आरएफडी—02 जारी किया गया।

2.2.24 निष्कर्ष एवं संस्तुति

प्रावधानों, अधिनियम और नियमों का पालन न करना, विवरणी, आईटीसी दावे, शिपिंग बिल, खरीद और बिक्री विवरण, बिक्री टर्नओवर की उचित जाँच न करने के परिणामस्वरूप पावती जारी करने में विलम्ब, प्रतिदाय की विलम्ब स्वीकृति, कर योग्य व्यक्तियों को अधिक वापसी और अनियमित वापसी हुई।

संस्तुति:

सरकार निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रतिदाय दावों को स्वीकृत करने से पहले संबंधित समर्थित दस्तावेजों के साथ प्रतिदाय आवेदन की जांच के लिए उवित अधिकारियों को निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।